वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2 ] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जनवरी, 2017-पोष 23, शके 1938

## भाग 3 ( 1 )

## विज्ञापन

## न्यायालयों की सूचनाएं

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT INDORE**

(Original Company Jurisdiction)

Process-D-80674/16

**Company Petition No. 46 of 2016**

Form of advertisement of petition

**From No. 5**

*See Rule 25*

**In re:**

**Parvati Sweetners and Power Limited**
a company incorporated under the
Companies Act, 1956, having its
registered office at 19/1, Naroli Arcade, 1st
floor, Manorama Ganj, Near Palasia Square,

Indore 452001. **.....Petitioner**

Notice of Petition

A Petition under Section 391 and 394 of the Companies Act, 1956 for sanctioning a Scheme of Arrangement between **Dollex Industries Ltd.** (Transferor) and **Parvati Sweetners and Power Ltd.** (Transferee) was presented by Bharat Chitale and Amit Pardeshi on the 22nd day of November, 2016, and the said petition is fixed for hearing before the hon'ble Company Judge on 24-01-2017. Any person

desirous of supporting or opposing the said petition should send to the petitioners advocate, notice of his intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the petitioner's advocate not later than two days before the date fixed for hearing of the petition. Where he seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

**BHARAT CHITALE AND AMIT PARDESHI,**
(Advocate for the petitioner)
28/2, Race course Road, Indore (M.P.)

Date:27-12-2016

(603-B.)

# अन्य सूचनाएं

## CHANGE OF NAME

I, Anil T John S/o Late T John Kutty, resident of Air Force Station Maharajpura, Gwalior M.P. has changed my name from Anil T John to Md. Faizal Khan vide affidavit dated 21-03-2016 before Distt. Court, Gwalior.

Old Name:
**( ANIL T JOHN )**
S/o Late T Jhon Kutty,

New Name :
**( MD. FAIZAL KHAN )**
R/o Air Force Station,
Maharajpura, Gwalior (M.P.).

(583-B.)

## CHANGE OF NAME

I, Ateek here by declare that I have change my name as Mohammad Ateek Khan. So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name:
**( ATEEK )**

New Name :
**( MOHAMMAD ATEEK KHAN )**

(584-B.)

## CHANGE OF NAME

I, Snehlata Padmaker has changed my name Snehlata Padmaker to Lata Wankhede. Therefore by now I will be known and read as Lata Wankhede.

Old Name:
**( SNEHLATA PADMAKER )**

New Name :
**( LATA WANKHEDE )**
98, Rohit Nagar Phase-1, E-8, Extension,
Arera Colony, Bhopal (M.P.).

(601-B.)

## नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित हो कि योगेश दुबे एवं योगेन्द्र दुबे दोनों नाम एक ही होकर मेरे ही हैं. उक्त दोनों नाम जहां पर भी सम्बोधित हो रहे हैं उन्हें एक ही पढ़ा जाना जाये.

पुराना नाम :
**( योगेश दुबे )**
पिता स्व. दामोदर दुबे,

नया नाम :
**( योगेन्द्र दुबे )**
पिता स्व. दामोदर दुबे,
148-बी, सांईबाग कॉलोनी,
लिम्बोदी खण्डवा रोड, इन्दौर (मध्यप्रदेश).

(585-बी.)

## नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम सनी गावड़े पिता श्री सुभाष गावड़े था, जिसे परिवर्तित कर मैंने अपना

नाम राजवर्धन गावड़े पिता श्री सुभाष गावड़े कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

**( SUNNY GAWDE )**

नया नाम :

**( RAJWARDHAN GAWDE )**

**( राजवर्धन गावड़े )**

पिता श्री सुभाष गावड़े,

298, सिरपुर, धार रोड़, इन्दौर (मध्यप्रदेश).

(600-बी.)

---

## आम सूचना

सर्व-साधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स माहेश्वरी स्टील फेब्रीकेशन्स सागर, पं. क्र. 401/82-83, दिनांक 18 जून, 1982 पर पंजीकृत फर्म है. उक्त फर्म में 1. श्री उमाशंकर माहेश्वरी, 2. श्री जुगल किशोर माहेश्वरी, 3. श्री बृजकिशोर माहेश्वरी एवं 4. श्रीमती निर्मला देवी माहेश्वरी साझेदार थे. दिनांक 01-04-1999 को श्री उमाशंकर माहेश्वरी फर्म से अलग हो गये तथा श्रीमती निर्मला देवी माहेश्वरी का दिनांक 06-01-2007 को निधन होने से फर्म से अलग हो गई. उक्त परिवर्तन उपरांत फर्म में 1. श्री जुगल किशोर माहेश्वरी, 2. श्री बृज किशोर माहेश्वरी साझेदार हैं. फर्म माहेश्वरी स्टील फेब्रीकेशन्स का पंजीकृत पता-180-बी, रामपुरा, सागर था जो अब बदलकर 315, तिलकगंज पुरानी गल्ला मण्डी, सागर हो गया है. फर्म रचना में उक्त परिवर्तन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो संबंधित अभिलेख के साथ 15 दिवस के अंदर फर्म के पते पर संपर्क कर निराकृत करा लेवें. उक्त अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

फर्म-मेसर्स माहेश्वरी स्टील फेब्रीकेशन्स,

**जुगल माहेश्वरी,**

(पार्टनर)

सागर (म.प्र.).

(586-बी.)

---

## आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म वास्तु इन्फ्रास्ट्रक्चर रजि. क्र. 02/42/01/00165/14, पता-गली नं. 04, शिव कॉलोनी, कम्युनिटी हॉल के सामने, गुड़ी गुढ़ा का नाका, कम्पू, लश्कर, ग्वालियर जो कि दिनांक 08-09-2014 से श्री सिद्धार्थ राठौर एवं श्री दीपसिंह भदौरिया के मध्य एक भागीदारी फर्म चली आ रही है. जिसमें दिनांक 09-03-2016 को दोनों भागीदारों के मध्य आपसी सहमति से भागीदार श्री दीप सिंह भदौरिया पुत्र श्री शिवकुमार सिंह भदौरिया, निवासी 33, महाराणा प्रताप कॉलोनी झांसी रोड, ग्वालियर की भागीदारी का विघटन का कर उनके स्थान पर नये भागीदार श्री सूर्यप्रताप पुत्र श्री गोवर्धन सिंह, निवासी गोपालपुरा, ग्वालियर को स्थापित किया गया है. अतः भविष्य में उपरोक्त फर्म के भागीदार श्री सिद्धार्थ राठौर एवं श्री सूर्यप्रताप होंगे. जिन्हें फर्म संबंधित समस्त निर्णय लेने का एकाधिकार प्राप्त होगा.

प्रेषक

वास्तु-इन्फ्रास्ट्रक्चर,

**सिद्धार्थ सिंह राठौर,**

द्वारा-डॉ. विनय हासवानी,

(अधिवक्ता).

(587-बी.)

---

## आम सूचना

हमारी फर्म अग्रवाल पेट्रोलियम कम्पनी सन् 1969 में प्रारम्भ हुई, जिसका पंजीयन क्रमांक 9097, दिनांक 10-10-1969 है, जिसमें चार पार्टनर थे. 1. नंद किशोर अग्रवाल, 2. गोविंद प्रसाद अग्रवाल, 3. सुरेश चन्द अग्रवाल, 4. चमन अग्रवाल ये फर्म को विधिवत संचालित करते रहे. दिनांक 04-10-1991 में श्री चमन अग्रवाल जी का निधन हो गया. उनकी जगह पर उनकी धर्म पत्नि श्रीमती सरोज अग्रवाल आयीं एवं उसमें गोविंद प्रसाद अग्रवाल एवं नंद किशोर अग्रवाल ने अपनी पार्टनरशिप से बाहर हो गये. जिसमें दो पार्टनर बचे सुरेश चन्द जी एवं श्रीमती सरोज अग्रवाल पार्टनर में फर्म संचालित हो रही थी. 01 जनवरी, 2010 में सुरेश चन्द जी का स्वर्गवास हो गया. उसके पश्चात् उनकी पुत्र वधू गायत्री अग्रवाल पार्टनर के रूप में आयीं. जिसके चलते हुये 01 अप्रैल, 2016 में श्रीमती सरोज अग्रवाल ओल्ड ऐज होने की स्थिति में उन्होंने अपनी पुत्र वधू भावना अग्रवाल को दिया. 01 अप्रैल, 2016 से भावना अग्रवाल एवं गायत्री अग्रवाल की नई पार्टनरशिप डीड बनाई गई.

फर्म-अग्रवाल पेट्रोलियम कम्पनी,

**सरोज अग्रवाल,**

(भागीदार)

जबलपुर.

(588-बी.)

## PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s Vijay Goswami having office at Ajay Daily Needs, Ward No. 14, Old Telephone Exchange, civil Line Balaghat, Disst.-Balaghat (M.P.) a partnership firm incorporated on 20-07-2009, having three partners as Shri Vijay Goswami, Shri Ajay Goswami and Shri Ravishankar Soni. On 31-03-2014, Shri Ravishankar Soni retired as a partner from the firm. Now the two partners of the firm are Shri Vijay Goswami and Shri Ajay Goswami. This public notice is being published for the purpose of registration of change in composition of the firm with the office of registrar of firms and society.

For- M/s. Vijay Goswami,
**VIJAY GOSWAMI,**
(Partner).

(589-B.)

---

## आम सूचना

पंजी क्र. 01/01/01/00413/14, दिनांक 17-12-2014

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स एज बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स स्थित प्लॉट नं. 221, बिसारिया, कॉम्पलेक्स फोर्थ फ्लोर जोन-2, एम. पी. नगर, भोपाल में स्थित है एवं दिनांक 25-05-2016 को भागीदारी 1. श्री गुलशन राजपूत पुत्र आत्मज स्व. श्री जे. के. राजपूत, पता-बंगलो नम्बर 02, सोम्या इस्टेट बी. डी. ए. रोड़, खजूरीकलॉ, भोपाल (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से भागीदारी से उक्त फर्म से पृथक् (अलग) हो रहे हैं एवम् 2. श्रीमती रितू गोयना पत्नी श्री दीपक गोयना, पता 220 भरत नगर बी. एच. ई. एल. रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से भागीदारी उक्त फर्म में सम्मिलित हो रही हैं, सर्वजन एवम् आमजन को सूचित हो.

मैसर्स एज बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स,
**दीपक गोयना,**
(भागीदार)
पता-220, भरत नगर, बी. एच. ई. एल.,
रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र.).

(590-बी.)

---

## आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म में सनराज आईल, वाटिका परिसर, लालघाटी, इन्दौर रोड, भोपाल जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एण्ड सोसायटीज म.प्र. के रजिस्ट्रेशन क्रमांक 17/2002-2003, दिनांक 03/05/2002 पर रजिस्टर्ड फर्म है के एक भागीदारी श्री माधव प्रकाश सदाना का दिनांक 23-06-2016 को अचानक स्वर्गवास हो गया है. अतः दिनांक 23-06-2016 को ही स्व. माधव प्रकाश सदाना के स्थान पर उनकी वैध उत्तराधिकारी श्रीमति रश्मि सदाना पत्नि स्व. माधव प्रकाश सदाना को उनकी सहमति एवं शेष भागीदार श्री मनोज सदाना की पारस्परिक सहमति से दिनांक 23-06-2016 से ही भागीदार के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है. अतः अब भागीदारी फर्म श्रीमति रश्मि सदाना एवं श्री मनोज सदाना की भागीदार में संचालित की जा रही है.

**प्रदीप कुमार शर्मा,**
(अधिवक्ता)
ए-48, अम्बेडकर कॉलोनी,
ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल (म.प्र.).

(591-बी.)

---

## आम सूचना

पंजी क्र. 01/01/01/00023/14, दिनांक 15-04-2014

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स केन इण्डस्ट्रीज स्थित खसरा नं. 22/1, गली नं. 01, पीपल चौराहा, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है एवं दिनांक 01-04-2016 को भागीदार 1 नकूल शर्मा पुत्र स्व. श्री सतेन्द्र शर्मा, पता-ए-281, न्यू मिनाल रेसीडेन्सी जे. के. रोड, भोपाल (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से भागीदारी से उक्त फर्म से पृथक्/अलग हो रहे हैं. एवम् 2. श्रीमती श्वेता शर्मा पत्नी श्री राकेश शर्मा, पता 08, नेवरी मंदिर रोड, ईदगाह हिल्स भोपाल (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से भागीदारी उक्त फर्म में सम्मिलित हो रही हैं, सर्वजन एवं आमजन को सूचित हो.

मैसर्स केन इण्डस्ट्रीज,
**मुकेश शर्मा,**
(भागीदार)
पता-08, नेवरी मंदिर रोड,
ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.).

(592-बी.)

## आम सूचना

मेसर्स स्वरूप ट्रैक्टर एजेंसी, तहसील के पास सरला नगर रोड, मैहर, जिला सतना (म.प्र.) के पार्टनर/भागीदार श्री भूपेन्द्र सिंह पिता स्वर्गीय श्री कृष्णपाल सिंह जी उम्र-49 वर्ष, निवासी मकान नं.-202, वार्ड क्रमांक-14, ग्राम पंचायत के पास, ग्राम-गोबरांब खुर्द, पोस्ट-लगरगवां, तहसील व थाना-उचेहरा, जिला सतना (म.प्र.) फर्म से 15 सितम्बर, 2016 से अपनी हिस्सेदारी पूर्णतः समाप्त कर ली है. 15 सितम्बर, 2016 के पश्चात् मेसर्स स्वरूप ट्रेक्टर एजेंसी तहसील के पास, सरला नगर रोड, मैहर, जिला सतना (म.प्र.) से श्री भूपेन्द्र सिंह को पूर्णतः अलग माना जाये व उनका उक्त फर्म से कोई लेना-देना नहीं होगा.

मैसर्स स्वरूप ट्रेक्टर एजेंसी,
**ज्ञानेन्द्र सिंह,**
(प्रबंधक/पार्टनर)
तहसील के पास, सरला नगर रोड,
मैहर, जिला सतना (म.प्र.).

(593-बी.)

---

## PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to public that with effect from 18th October, 2016 Mr. Rabmeet Singh Son of Mr. Manjeet Singh Chawla, resident of ward No. 5, Diversion Road, 4, Ishwari Nagar, Khargone (M.P.) and Mr. Karan Rajpal Son of Mr. Bhupendra Singh Rajpal, resident of Plot No. 12A & 13, N-3 Cidco, Aurangabad (M.H.) pasrtners have retired from the partnership firm M/s Harman Agro, Registered on 25th day of February, 2016 with the Registrar of Firms, Khargone (M.P.).

For- M/s. Harman Agro,
Sd/-
**GURUCHARAN SINGH CHHABDA,**
(Partner).

(594-B.)

---

## PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to public that our firm name M/s Harman Agro, registered on 25th day of February, 2016 is introducing the new partner Mr. Gurucharan Singh son of Late Mr. Desa Singh Chhabda, Resident of 1 Ganj Bazar Khandwa (M.P.) and Mr. Gurdeep Singh Son of Mr. Gurucharan Singh Chhabda, resident of Anand Nagar, Khandwa (M.P.) from 13th day of October, 2016 in our Partnership Firm.

For- M/s. Harman Agro,
Sd/-
**RABMEET SINGH CHAWLA,**
(Partner).

(595-B.)

---

## आम सूचना

### ( भारतीय भागीदारी अधिनियम,1932 की धारा-72 के तहत )

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स धनलक्ष्मी इनफाटेक, पता-50, अनूप नगर, इन्दौर (पूर्व पता यू. जी.-2) रूद्राक्स, 16 मीरापथ धेनू मार्केट, इन्दौर) साझेदारी फर्म से 1. उज्जवल भोरकर (एच. यु. एफ.) कर्ता श्री उज्जवल भोरकर, 2. अतुल कुलकर्णी (एच.यु.एफ.) कर्ता श्री अतुल कुलकर्णी, 3. श्री मुकेश सघंवी पिता श्री शान्तिभाई सघंवी ने दिनांक 08-10-2016 को फर्म से निवृत्ति प्राप्त कर ली है. अब फर्म में श्री पिता श्री किरण देशमुख और श्री फिरोज बंगलोवाला एवं इसके अलावा तीन नये साझेदार सम्मिलित हुये हैं जो कि श्री उज्जवल भोरकर पिता श्री स्व. वाय. वी. भोरकर, श्री अतुल कुलकर्णी पिता श्री स्व. के. आर. कुलकर्णी एवं अरविन्द जैन पिता स्व. श्री वी. सी. जैन साझेदार हैं. एतद्नुसार सूचित होवें.

For- Dhanlaxmi Infratech,
**किरण देशमुख,**
**फिरोज बंगलोवाला,**
(Partner).

(596-बी.)

## आम सूचना

### ( भारतीय भागीदारी अधिनियम,1932 की धारा-72 के अधीन सूचना-पत्र )

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स शिव शंकर एसोसिएट्स पंजीयन क्रमांक 125, सन् 2000-2001, दिनांक 13-03-2001 में से भागीदार श्री सतीश शर्मा आत्मज श्री बंशीलाल शर्मा एवं श्रीमती राजकुमारी रावत पत्नी स्व. श्री बंशीधर रावत फर्म की भागीदारी से दिनांक 23-11-2016 से पृथक् हो गये हैं तथा श्रीमती चन्द्रप्रभा वाजपेई पत्नी श्री रामकृपाल वाजपेई फर्म की भागीदारी में दिनांक 23-11-2016 सम्मिलित हो गई हैं.

**आराधना,**
(पार्टनर)
म. नं. 117, सेक्टर-1, शक्ति नगर,
भोपाल (म.प्र.).

(597-बी.)

---

## PUBLIC NOTICE

This is to infrom that M/s Bharat Finance Company, Having office at, Keshar Plaza, Main Road, Balaghat, Distt.-Balaghat (M.P.) a partnership firm incorporated on 26-11-2015 Shri Durga Shankar Kasar S/o Late Shankar Lal kasar have retired from firm w.e.f. 21-06-2016 and Shri Munendra Pandey S/o Dr. Rohini Prasad Pandey have joined the firm from 21-06-2016 and now in the partnership firm there are following partners. 1. Shri Gaurav Dubey, 2. Shri Khemendra Pardhi, 3. Shri Munendra Pandey, 4. Shri Suresh Patel, 5. Shri Atul Hanwat, 6. Shri Dileshwar Rahangdale, 7. Shri Rajesh Lilhare, 8. Shri Bhupesh Sharma, 9. Shri Surendra Kumar Chakrovorty, 10. Shri Sharad Mankar, 11. Smt. Shipra Pandey, 12. Smt. Mitali Dubey, 13. Smt. Neetu Mishra, 14. Smt. Ritu Rahangdale. This public notice is being published for the purpose of registration of change in composition of the firm with the office of Registrar of firms and Society.

For- M/s. Bharat Finance Company,
**GAURAVDUBEY,**
(Partner).

(598-B.)

---

## जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स वृन्दावन कन्स्ट्रक्शन कं. जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00285/13, दिनांक 15-10-2013 को असि. रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, भोपाल के कार्यालय में पंजीकृत है. उपरोक्त फर्म में श्री संजीव अग्रवाल आत्मज श्री एस. के. अग्रवाल, निवासी ई-2/134, अरेरा कॉलोनी, भोपाल दिनांक 01-10-2016 को नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हुये हैं. फर्म का शाखा कार्यालय 250, सागर प्लाजा जोन-2, एम. पी. नगर, भोपाल होगा. जिसके लिये फर्म के पूर्व के सभी सदस्य सहमत हैं. फर्म की रचना में हुये परिवर्तन स्वरूप यह जाहिर सूचना दी जा रही है.

मैसर्स वृन्दावन कन्स्ट्रक्शन कं.,
**एस. के. माहेश्वरी,**
(भागीदार)
13-ए, जोन-1, एम. पी. नगर,
भोपाल (म.प्र.).

(599-बी.)

---

## आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स जिसका पता ई-12, गार्डन विला, कचनार सिटी, विजयनगर, जबलपुर (म.प्र.) 482002 एवं पंजीयन क्रमांक 04/14/01/0156/16, सन् 2016-17, दिनांक 20-10-2016 पंजीयन फर्म है, में दिनांक 06-08-2016 को सुधांसू देवा पिता स्व. श्री उपेन्द्र देवा, निवासी-ई-12, गार्डन विला, कचनार सिटी, विजयनगर, जबलपुर (म.प्र.) एवं महेन्द्र कुमार गोयनका पिता श्री सुशील कुमार गोयनका, निवासी वार्ड नं. 3, सरस्वती शिशु मंदिर रोड, कोतमा, अनूपपुर में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म ट्रिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स,
**समृद्ध अग्रवाल,**
(भागीदार)
ई-12, गार्डन विला, कचनार सिटी,
विजयनगर, जबलपुर (म.प्र.).

(602-बी.)

# विविध

## निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी, 2017

### ऑनलाईन निविदा सूचना

क्र. जी. बी. 5/(वी-1)/2016-17/45.—आई. टी. विभाग की वेबसाई **https://mpeproc.gov.in** शासकीय केन्द्रीय/क्षेत्रीय मुद्रणालय, भोपाल/ग्वालियर/इन्दौर/रीवा की एकत्रित कागज की रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटके के विक्रय हेतु ऑनलाईन ई-निविदा दिनांक 28 जनवरी, 2017 को अपरान्ह 12.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती है.

2. ऑनलाईन तकनीकी निविदा की हार्ड कॉपी एवं **परिशिष्ट अ** में दस्तावेजों की फर्म द्वारा अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित एवं निविदा शर्तों पर फर्म की पदमुद्रा अंकित कर सहमति हस्ताक्षर सहित दिनांक 28 जनवरी, 2017 को की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा. ऑनलाईन तकनीकी भाग दिनांक 28 जनवरी, 2017 को अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्ड कॉपी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खोला जावेगा.

3. विज्ञप्ति, तकनीकी विवरण एवं शर्तों को वेबसाई **www.govtpressmp.nic.in** पर भी अवलोकन किया जा सकता है.

4. किसी भी प्रकार संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना **https://mpeproc.gov.in** पर एवं **www.govtpressmp.nic.in** पर उपलब्ध रहेगी.

नियंत्रक द्वारा नस्ती पर अनुमोदित.

**विलास मंथनवार,**
उप नियंत्रक,
वास्ते नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मध्यप्रदेश भोपाल.

(16)

## न्यायालयों की सूचनाएं

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील पवई, जिला पन्ना

प्र.क्र.01/अ-113/16-17.

**फार्म**

(नियम-11 देखिए)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष:-रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, तहसील पवई, जिला पन्ना मध्यप्रदेश.

जैसा कि "सद्गुरू कबीर ध्यान योग मंदिर ट्रस्ट" कार्यालय कबीर ध्यान योग मंदिर (कबीर शाला) ग्राम-सिमराखुर्द, पोस्ट सिमराकलां, तहसील पवई, जिला पन्ना (म.प्र.) ने मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 2017 को विचार में लिया जायेगा, कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह " के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.

**अनुसूची**

| | | |
|---|---|---|
| 1. ट्रस्ट का नाम व पता | : | "सद्गुरू कबीर ध्यान योग मंदिर ट्रस्ट"<br>कार्यालय कबीर ध्यान योग मंदिर (कबीर शाखा)<br>ग्राम सिमरा खुर्द, पोस्ट सिमराकलां, तहसील पवई, जिला पन्ना म.प्र. |
| अचल सम्पत्ति | : | 5038600/- संलग्न परिशिष्ट-"अ" के अनुसार |

चल सम्पत्ति : 1199005/- संलग्न परिशिष्ट-"ब" के अनुसार

**परिशिष्ट-"अ"**

**अचल सम्पत्ति विवरणः-**

(1) भूमि खसरा नम्बर 915 रकवा 1.16 हेक्टयर प. ह. 02 ग्राम सिमराखुर्द में आश्रम एवं बगीचा.

(2) भूमि खसरा नम्बर 917 रकवा 0.73 हेक्टयर प. ह. 02 ग्राम सिमराखुर्द में आश्रम एवं बगीचा.

(3) भूमि खसरा नम्बर 171 रकवा 0.83 हेक्टयर प. ह. 01 ग्राम सिमराकलां कृषि भूमि.

(4) भूमि खसरा नम्बर 915 एवं 917 प. ह. 02 ग्राम सिमराखुर्द में विभिन्न पेड़ 157 नग.

(5) भूमि खसरा नम्बर 915 एवं 917 प. ह. 02 ग्राम सिमराखुर्द में विशाल कबीर मंदिर, आवासीय भवन, रसोई घर एवं सत्संग चबूतरा तथा पक्का कुआ, प्रत्येक एक नग.

**परिशिष्ट-"ब"**

**चल सम्पत्ति विवरणः-**

(1) विभिन्न प्रकार की आवासीय सामग्री, पूजा साम्रगी, जलप्रदाय सामग्री तथा रसोई घर से संबंधित सामग्री 40 आयटम.

(2) प्रबंध न्यासी द्वारा दर्शाई नगद राशि 11000/ (ग्यारह हजार रुपये मात्र)

नोट-उपरोक्त चल एवं अचल सम्पत्ति का विस्तृत ब्यौरा रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पवई, जिला पन्ना म.प्र. में अथवा प्रबंध न्यासी का कार्यालय कबीर ध्यान योग मंदिर (कबीर शाला) ग्राम-सिमराखुर्द, पोस्ट सिमराकलां, तहसील पवई, जिला पन्ना (म.प्र.) में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

**रामनरेश सिंह,**
अनुविभागीय अधिकारी.

(15)

# अन्य सूचनाएं

## कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 09 दिसम्बर, 2016

क्र./परि./2016/2885.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/2151, दिनांक 05 नवम्बर, 2016 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भटनावर को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भटनावर, जिसका पंजीयन क्रमांक 680, दिनांक 09 अगस्त, 2016 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एन. एस. बरेलिया, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

**एस. के. सिंह,**
उप-पंजीयक.

(889-D)

---

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

आर्थिक साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्लू.आर./171, दिनांक 11 अप्रैल, 1969 है, के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के द्वारा अवगत कराया है कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया है एवं पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने के कारण यह प्रमाणित होता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी संस्था कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण धारा-69(3) के अंतर्गत संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि.2016/607, दिनांक 18 फरवरी, 2016 को जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04 मार्च, 2016 को में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी की संस्था के संचालक में कोई रुचि नहीं है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 (2) के तहत् आर्थिक साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एम. के. सिंघल, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(03)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

ग्वालियर आदर्श परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्लू.आर./171, दिनांक 11 अप्रैल, 1969 है, के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के द्वारा अवगत कराया है कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया है एवं पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने के कारण यह प्रमाणित होता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी संस्था कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण धारा-69(3) के अंतर्गत संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि. 2016/606, दिनांक 18 फरवरी, 2016 को जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04 मार्च, 2016 को में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी की संस्था के संचालक में कोई रुचि नहीं है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 (2) के तहत् ग्वालियर आदर्श परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एम. एस. भदौरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(03-A)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

संत साई बुनकर सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्लू.आर./261, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 है, के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के द्वारा अवगत कराया है कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया है एवं पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने के कारण यह प्रमाणित होता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी संस्था कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण धारा-69(3) के अंतर्गत संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि.2016/614, दिनांक 18 फरवरी, 2016 को जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04 मार्च, 2016 को में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी की संस्था के संचालक में कोई रुचि नहीं है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 (2) के तहत् संत साई बुनकर सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री राजेश मंगल, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(03-B)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

शारदा साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्लू.आर./1021, दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 है, के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के द्वारा अवगत कराया है कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया है एवं पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने के कारण यह प्रमाणित होता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी संस्था

कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण धारा-69(3) के अंतर्गत संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि.2016/610, दिनांक 18 फरवरी, 2016 को जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04 मार्च, 2016 को में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी की संस्था के संचालक में कोई रुचि नहीं है.

अत: मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 (2) के तहत् शारदा साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आनंद कुमार मांझी, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(03-C)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

मर्केनटाईल्स साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्लू.आर./441, दिनांक 09 सितम्बर, 2014 है, के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के द्वारा अवगत कराया है कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया है एवं पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने के कारण यह प्रमाणित होता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी संस्था कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण धारा-69(3) के अंतर्गत संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि. 2016/611, दिनांक 18 फरवरी, 2016 को जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04 मार्च, 2016 को में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी की संस्था के संचालक में कोई रुचि नहीं है.

अत: मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 (2) के तहत् मर्केनटाईल्स साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री ओ. पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(03-D)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

वीर सुभाष विद्युत यंत्र रिपेयरिंग उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्लू.आर./631, दिनांक 03 मई, 1994 है, के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के द्वारा अवगत कराया है कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया है एवं पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने के कारण यह प्रमाणित होता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी संस्था कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण धारा-69(3) के अंतर्गत संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि.2016/613, दिनांक 18 फरवरी, 2016 को जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04 मार्च, 2016 को में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी की संस्था के संचालक में कोई रुचि नहीं है.

अत: मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 (2) के तहत् वीर सुभाष विद्युत यंत्र रिपेयरिंग उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एल. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(03-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

सिटीजन वैलफेयर साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्लू.आर./893, दिनांक 16 नवम्बर, 1999 है, के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के द्वारा अवगत कराया है कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया है एवं पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने के कारण यह प्रमाणित होता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी संस्था कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण धारा-69(3) के अंतर्गत संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि.2016/608, दिनांक 18 फरवरी, 2016 को जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04 मार्च, 2016 को में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी की संस्था के संचालक में कोई रुचि नहीं है.

अत: मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 (2) के तहत् सिटीजन वैलफेयर साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री मनोज श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(03-F)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

शिक्षित बेरोजगार साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्लू.आर./440, दिनांक 25 मई, 1986 है, के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के द्वारा अवगत कराया है कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया है एवं पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने के कारण यह प्रमाणित होता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी संस्था कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण धारा-69(3) के अंतर्गत संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि.2016/612, दिनांक 18 फरवरी, 2016 को जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04 मार्च, 2016 को में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी की संस्था के संचालक में कोई रुचि नहीं है.

अत: मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 (2) के तहत् शिक्षित बेरोजगार साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(03-G)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

सर्वोदय मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., तिघरा, जिला ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्लू.आर./62, दिनांक 27 जनवरी, 1976 है, के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के द्वारा अवगत कराया है कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया है एवं पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने के कारण यह प्रमाणित होता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी संस्था कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण धारा-69(3) के अंतर्गत संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि.2016/616, दिनांक 18 फरवरी, 2016 को जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04 मार्च, 2016 को में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी की संस्था के संचालक में कोई रुचि नहीं है.

अत: मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति

क्रमांक 1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 (2) के तहत् सर्वोदय मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., तिघरा, जिला ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री अजय दुबे, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(03-H)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

सर्वजन साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्लू.आर./985, दिनांक 04 अप्रैल, 2009 है, के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के द्वारा अवगत कराया है कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया है एवं पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने के कारण यह प्रमाणित होता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी संस्था कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण धारा-69(3) के अंतर्गत संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि.2016/609, दिनांक 18 फरवरी, 2016 को जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04 मार्च, 2016 को में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी की संस्था के संचालक में कोई रुचि नहीं है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 (2) के तहत् सर्वजन साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. सी. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(03-I)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

अलंकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./जी.डब्लू.आर./251, दिनांक 27 अगस्त, 1996 है, के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के द्वारा अवगत कराया है कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया है एवं पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने के कारण यह प्रमाणित होता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी संस्था कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण धारा-69(3) के अंतर्गत संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि.2016/603, दिनांक 18 फरवरी, 2016 को जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04 मार्च, 2016 को में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी की संस्था के संचालक में कोई रुचि नहीं है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 (2) के तहत् अलंकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रविन्द्र शर्मा, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(03-J)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

राजस्व मंडल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्लू.आर./62, दिनांक 27-01-1976 है, के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के द्वारा अवगत कराया है कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया है एवं पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने के कारण यह प्रमाणित होता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी संस्था कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण धारा-69(3) के अंतर्गत संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि.2016/600, दिनांक 18 फरवरी, 2016 को जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर भेजा एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04 मार्च, 2016 को में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी की संस्था के संचालक में कोई रुचि नहीं है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 (2) के तहत् राजस्व मंडल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. एस. सोलंकी, अंकेक्षण अधिकारी, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

**सी. पी. एस. भदौरिया,**
उप-पंजीयक.

(03-K)

## कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

सतना, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

सदगुरू कबीर अ.जा.ध.अ.ज.जा. स्टेनर्स सहकारी समिति मर्यादित, मण्डला, पं. क्र. 778, दिनांक 29-9-2006, विकासखण्ड मण्डला को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंमधपरि./2014/2462, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, मण्डला को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 03-12-2016 से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, ए. के. दुबे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**ए. के. दुबे,**
सहायक रजिस्ट्रार.

(04)

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/3561.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, ऊँचाहेड़ा | 2251/01-10-15 |
| 2. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, दाऊदखेड़ी | 2255/05-10-15 |
| 3. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, पानवासा | 2248/01-10-15 |
| 4. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, मालाखेड़ी | 2249/01-10-15 |
| 5. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, बेहलोला | 2250/01-10-15 |
| 6. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, जवासिया कुमार | 2241/30-09-15 |
| 7. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, कड़छा | 2238/29-09-15 |
| 8. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, हंसखेड़ी | 2239/29-09-15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | 9. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, उपड़ी | 2161/20-08-15 |
| | 10. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, ढेंढिया | 2163/20-08-15 |
| | 11. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, रठड़ा | 2234/29-09-15 |
| | 12. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, विनायगा | 2153/20-08-15 |
| | 13. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, उमराझर | 2159/20-08-15 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार नवीन पंजीकृत सहकारी संस्था को पंजीयन दिनांक से 3 माह के अन्दर संस्था का निर्वाचन करवाया जाना अनिवार्य है. परन्तु संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन करवाये जाने हेतु प्रस्ताव नहीं दिया है साथ ही संस्था के कारोबार के संबंध में कोई जानकारी एवं कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है. इस संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 813, दिनांक 18 मार्च, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 तक संस्था का जवाब चाहा गया था जो कि नियत दिनांक तक अप्राप्त होने से पुनः अवसर प्रदान करते हुये कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2159, दिनांक 09 सितम्बर, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 19 सितम्बर, 2016 तक संस्था का जवाब चाहा गया था जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा अधिनियम/नियम/उपविधि के प्रावधानों का पालन नहीं करते हुए सदस्यों के हितों के अनुकूल कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं करवाये जाने एवं कारोबार के संबंध में कोई जानकारी एवं कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था का संचालक मण्डल, संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापक का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, ऊँचाहेड़ा | 2251/01-10-15 | श्री बी. एस. पटेल, उप-अंकेक्षक |
| 2. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, दाऊदखेड़ी | 2255/05-10-15 | श्री बी. एस. पटेल, उप-अंकेक्षक |
| 3. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, पानवासा | 2248/01-10-15 | श्री बी. एस. पटेल, उप-अंकेक्षक |
| 4. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, मालाखेड़ी | 2249/01-10-15 | श्री बी. एस. पटेल, उप-अंकेक्षक |
| 5. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, बेहलोला | 2250/01-10-15 | श्री बी. एस. पटेल, उप-अंकेक्षक |
| 6. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, जवासिया कुमार | 2241/31-09-15 | श्री बी. एस. पटेल, उप-अंकेक्षक |
| 7. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, कड़हण | 2238/29-09-15 | श्री बी. एस. पटेल, उप-अंकेक्षक |
| 8. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, हंसखेड़ी | 2239/29-09-15 | श्री बी. एस. पटेल, उप-अंकेक्षक |
| 9. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, उपड़ी | 2161/20-08-15 | श्री संजय देवलालीकर, उप-अंकेक्षक |
| 10. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, ढेंढिया | 2163/20-08-15 | श्री संजय देवलालीकर, उप-अंकेक्षक |
| 11. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, रठड़ा | 2234/29-09-15 | श्री संजय देवलालीकर, उप-अंकेक्षक |
| 12. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, विनायगा | 2153/20-08-15 | श्री संजय देवलालीकर, उप-अंकेक्षक |
| 13. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, उमराझर | 2159/20-08-15 | श्री संजय देवलालीकर, उप-अंकेक्षक |

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(05)

उज्जैन, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/3561.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण

बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, लिम्बोदियाखुर्द | 2246/30-09-15 |
| 2. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, नौगाँवा | 2256/05-10-15 |
| 3. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, मड़ावदी | 2088/15-06-15 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार नवीन पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को पंजीयन दिनांक से 3 माह के अन्दर संस्थाओं का निर्वाचन करवाया जाना अनिवार्य है. परन्तु संस्थाओं द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन करवाये जाने हेतु प्रस्ताव नहीं दिया है साथ ही संस्था के कारोबार के संबंध में कोई जानकारी एवं कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है. इस संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 813, दिनांक 18 मार्च, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 तक संस्था का जवाब चाहा गया था जो कि नियत दिनांक तक अप्राप्त होने से पुनः अवसर प्रदान करते हुये कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2159, दिनांक 09 सितम्बर, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 19 सितम्बर, 2016 तक संस्था का जवाब चाहा गया था जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्थाओं द्वारा अधिनियम/नियम/उपविधि के प्रावधानों का पालन नहीं करते हुए सदस्यों के हितों के अनुकूल कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं करवाये जाने एवं कारोबार के संबंध में कोई जानकारी एवं कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्थाएं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही हैं एवं संस्था का संचालक मण्डल, संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापक का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | दुग्ध सहकारी संस्था लिम्बोदियाखुर्द | 2246/30-09-15 | श्रीमती मोनिका सक्सेना, स. नि. |
| 2. | दुग्ध सहकारी संस्था नौगाँवा | 2256/05-10-15 | श्रीमती मोनिका सक्सेना, स. नि. |
| 3. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मड़ावदी | 2088/15-06-15 | श्रीमती मोनिका सक्सेना, स. नि. |

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(05-A)

---

उज्जैन, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (सी/ग) के अंतर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, बड़ोदिया | 2160/20-08-15 |
| 2. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, झिरन्या | 2148/18-08-15 |
| 3. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, खलाना | 2149/18-08-15 |
| 4. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, बीजपड़ी | 2152/20-08-15 |
| 5. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, चितावलिया खेड़ा | 2145/18-08-15 |
| 6. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, वरन्डवा | 2146/18-08-15 |
| 7. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, रूई | 2147/18-08-15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 8. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, बोरदिया | 2120/29-07-15 | |
| 9. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, माधौपुरा | 2121/29-07-15 | |
| 10. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, भाटपचलाना | 2117/25-07-15 | |
| 11. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, निनोरा | 2114/25-07-15 | |
| 12. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, कनवास | 2119/29-07-15 | |
| 13. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, बोलासा | 2067/27-03-15 | |
| 14. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, धुआखेड़ी | 2064/27-03-15 | |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार नवीन पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को पंजीयन दिनांक से 3 माह के अन्दर संस्थाओं का निर्वाचन करवाया जाना अनिवार्य है. परन्तु संस्थाओं द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन करवाये जाने हेतु प्रस्ताव नहीं दिया है साथ ही संस्थाओं के कारोबार के संबंध में कोई जानकारी एवं कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है. इस संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 813, दिनांक 18 मार्च, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 तक संस्था का जवाब चाहा गया था जो कि नियत दिनांक तक अप्राप्त होने से पुनः अवसर प्रदान करते हुये कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2159, दिनांक 09 सितम्बर, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 19 सितम्बर, 2016 तक संस्था का जवाब चाहा गया था जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्थाओं द्वारा अधिनियम/नियम/उपविधि के प्रावधानों का पालन नहीं करते हुए सदस्यों के हितों के अनुकूल कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्थाओं द्वारा निर्वाचन नहीं करवाये जाने एवं कारोबार के संबंध में कोई जानकारी एवं कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्थाएं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्थाओं का संचालक मण्डल, संस्थाओं का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापक का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, बड़ोदिया | 2160/20-08-15 | श्री जी. डी. पाल, उप-अंकेक्षक |
| 2. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, झिरन्या | 2148/18-08-15 | श्री जी. डी. पाल, उप-अंकेक्षक |
| 3. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, खलाना | 2149/18-08-15 | श्री एम. के. गुप्ता, व. स. नि. |
| 4. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, बीजपड़ी | 2152/20-08-15 | श्री एम. के. गुप्ता, व. स. नि. |
| 5. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, चितावलिया खेड़ा | 2145/18-08-15 | श्री एम. के. गुप्ता, व. स. नि. |
| 6. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, वरन्डवा | 2146/18-08-15 | श्री एम. के. गुप्ता, व. स. नि. |
| 7. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, रूई | 2147/18-08-15 | श्री एम. के. गुप्ता, व. स. नि. |
| 8. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, बोरदिया | 2120/29-07-15 | श्री एम. के. गुप्ता, व. स. नि. |
| 9. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, माधौपुरा | 2121/29-07-15 | श्री एम. के. गुप्ता, व. स. नि. |
| 10. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, भाटपचलाना | 2117/25-07-15 | श्री एम. के. गुप्ता, व. स. नि. |
| 11. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, निनोरा | 2114/25-07-15 | श्री एम. के. गुप्ता, व. स. नि. |
| 12. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, कनवास | 2119/29-07-15 | श्री एम. के. गुप्ता, व. स. नि. |
| 13. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, बोलासा | 2067/27-03-15 | श्री बी. एस. पटेल, उप-अंकेक्षक |
| 14. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, धुआखेड़ी | 2064/27-03-15 | श्री बी. एस. पटेल, उप-अंकेक्षक |

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(05-B)

उज्जैन, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/3561.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, ईसनखेड़ी | 2073/25-05-15 |
| 2. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, पासलोद | 2074/25-05-15 |
| 3. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, मुरारखेड़ी | 2076/25-05-15 |
| 4. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, करेड़ीमाताजी | 2077/26-05-15 |
| 5. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, चंद्रबासला | 2081/15-06-15 |
| 6. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, बागेड़ी | 2087/15-06-15 |
| 7. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, कचनारिया | 2090/15-06-15 |
| 8. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, गजनीखेड़ी | 2102/08-07-15 |
| 9. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, गांगलियाखेड़ी | 2103/08-07-15 |
| 10. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, मानपुरा | 2080/15-06-15 |
| 11. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, अनंतखेड़ी | 2092/15-06-15 |
| 12. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, चांदनियाखेड़ी | 2104/08-07-15 |
| 13. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, भेरूगढ़ | 2095/18-06-15 |
| 14. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, जलोदिया जागीर | 2281/17-11-15 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार नवीन पंजीकृत सहकारी संस्था को पंजीयन दिनांक से 3 माह के अन्दर संस्थाओं का निर्वाचन करवाया जाना अनिवार्य है. परन्तु संस्थाओं द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन करवाये जाने हेतु प्रस्ताव नहीं दिया है साथ ही संस्थाओं के कारोबार के संबंध में कोई जानकारी एवं कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है. इस संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 813, दिनांक 18 मार्च, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 तक संस्था का जवाब चाहा गया था जो कि नियत दिनांक तक अप्राप्त होने से पुन: अवसर प्रदान करते हुये कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2159, दिनांक 09 सितम्बर, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 19 सितम्बर, 2016 तक संस्थाओं का जवाब चाहा गया था जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्थाओं द्वारा अधिनियम/नियम/उपविधि के प्रावधानों का पालन नहीं करते हुए सदस्यों के हितों के अनुकूल कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं करवाये जाने एवं कारोबार के संबंध में कोई जानकारी एवं कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्थाएं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही हैं एवं संस्थाओं का संचालक मण्डल, संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापक का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, ईसनखेड़ी | 2073/25-05-15 | श्रीमती हेमलता चंदेल, स. नि. |
| 2. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, पासलोद | 2074/25-05-15 | श्रीमती हेमलता चंदेल, स. नि. |
| 3. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, मुरारखेड़ी | 2076/25-05-15 | श्रीमती हेमलता चंदेल, स. नि. |
| 4. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, करेड़ीमाताजी | 2077/26-05-15 | श्रीमती हेमलता चंदेल, स. नि. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, चंद्रबासला | 2081/15-06-15 | श्रीमती हेमलता चंदेल, स. नि. |
| 6. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, बागोड़ी | 2087/15-06-15 | श्रीमती हेमलता चंदेल, स. नि. |
| 7. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, कचनारिया | 2090/15-06-15 | श्रीमती हेमलता चंदेल, स. नि. |
| 8. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, गजनीखेड़ी | 2102/08-07-15 | श्रीमती हेमलता चंदेल, स. नि. |
| 9. | महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, गांगलियाखेड़ी | 2103/08-07-15 | श्रीमती हेमलता चंदेल, स. नि. |
| 10. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, मानपुरा | 2080/15-06-15 | श्रीमती हेमलता चंदेल, स. नि. |
| 11. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, अनंतखेड़ी | 2092/15-06-15 | श्रीमती स्वर्णलता दलाल, स. नि. |
| 12. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, चांदनियाखेड़ी | 2104/08-07-15 | श्रीमती स्वर्णलता दलाल, स. नि. |
| 13. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, भेरूगढ़ | 2095/18-06-15 | श्रीमती स्वर्णलता दलाल, स. नि. |
| 14. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, जलोदिया जागीर | 2281/17-11-15 | श्रीमती स्वर्णलता दलाल, स. नि. |

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(05-C)

---

उज्जैन, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/3561.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, असावता | 2143/18-08-15 |
| 2. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, पलवा | 2141/18-08-15 |
| 3. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, लिम्बास | 2116/25-07-15 |
| 4. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, मतानाकला | 2154/20-08-15 |
| 5. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, लखमनखेड़ी | 2156/20-08-15 |
| 6. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, किलोली | 2144/20-08-15 |
| 7. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, पलदुना | 2162/20-08-15 |
| 8. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, गांधीनगर | 2158/20-08-15 |
| 9. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, राचीखेड़ी | 2157/20-08-15 |
| 10. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, धुमाहेड़ा | 2243/30-09-15 |
| 11. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, पिपलियामोलू | 2245/30-09-15 |
| 12. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, उण्डासा | 2240/29-09-15 |
| 13. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, सिलारखेड़ी | 2254/01-10-15 |
| 14. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, पिपलियासेसा | 2253/01-10-15 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार नवीन पंजीकृत सहकारी संस्था को पंजीयन दिनांक से 3 माह के अन्दर संस्था का निर्वाचन करवाया जाना अनिवार्य है. परन्तु संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन करवाये जाने हेतु प्रस्ताव नहीं दिया है साथ ही संस्था के कारोबार के संबंध में कोई जानकारी एवं कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है. इस संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 813, दिनांक 18 मार्च, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 तक संस्था का जवाब चाहा गया था जो कि नियत दिनांक तक अप्राप्त होने से पुन: अवसर प्रदान करते हुये कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2159, दिनांक 09 सितम्बर, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 19 सितम्बर, 2016 तक संस्था का जवाब चाहा गया था जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा अधिनियम/नियम/उपविधि के प्रावधानों का पालन नहीं करते हुए सदस्यों के हितों के अनुकूल कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं करवाये जाने एवं कारोबार के संबंध में कोई जानकारी एवं कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था का संचालक मण्डल, संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 (2), (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापक का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, असावता | 2143/18-08-15 | श्रीमती स्वर्णलता दलाल, स. नि. |
| 2. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, पलवा | 2141/18-08-15 | श्रीमती स्वर्णलता दलाल, स. नि. |
| 3. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, लिम्बास | 2116/25-07-15 | श्रीमती स्वर्णलता दलाल, स. नि. |
| 4. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, मतानाकला | 2154/20-08-15 | श्रीमती स्वर्णलता दलाल, स. नि. |
| 5. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, लखमनखेड़ी | 2156/20-08-15 | श्रीमती स्वर्णलता दलाल, स. नि. |
| 6. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, किलोली | 2144/20-08-15 | श्रीमती स्वर्णलता दलाल, स. नि. |
| 7. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, पलदुना | 2162/20-08-15 | श्री जी. डी. पाल, उप अंकेक्षक |
| 8. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, गांधीनगर | 2158/20-08-15 | श्री जी. डी. पाल, उप अंकेक्षक |
| 9. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, राचीखेड़ी | 2157/20-08-15 | श्री जी. डी. पाल, उप अंकेक्षक |
| 10. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, धुमाहेड़ा | 2243/30-09-15 | श्री जी. डी. पाल, उप अंकेक्षक |
| 11. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, पिपलियामोलू | 2245/30-09-15 | श्री जी. डी. पाल, उप अंकेक्षक |
| 12. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, उण्डासा | 2240/29-09-15 | श्री जी. डी. पाल, उप अंकेक्षक |
| 13. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, सिलारखेड़ी | 2254/01-10-15 | श्री जी. डी. पाल, उप अंकेक्षक |
| 14. | दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, पिपलियासेसा | 2253/01-10-15 | श्री जी. डी. पाल, उप अंकेक्षक |

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(05-D)

---

उज्जैन, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/3562.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधि नियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | माँ चामुण्डा बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्यादित, रुपाहेड़ा | 2218/11-09-15 |
| 2. | श्री बलराम बीज़ उत्पा. सहकारी संस्था मर्यादित, जहागीरपुर | 2219/11-09-15 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार नवीन पंजीकृत सहकारी संस्था को पंजीयन दिनांक से 3 माह के अन्दर संस्था का निर्वाचन करवाया जाना अनिवार्य है. परन्तु संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन करवाये जाने हेतु प्रस्ताव नहीं दिया है साथ ही संस्था के कारोबार के संबंध में कोई जानकारी एवं कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है. इस संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 813, दिनांक 18 मार्च, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 तक संस्था का जवाब चाहा गया था जो कि नियत दिनांक तक अप्राप्त होने से पुन: अवसर प्रदान करते हुये कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2159, दिनांक 09 सितम्बर, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 19 सितम्बर, 2016 तक संस्था का जवाब चाहा गया था जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा अधिनियम/नियम/उपविधि के प्रावधानों का पालन नहीं करते हुए सदस्यों के हितों के अनुकूल कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं करवाये जाने एवं कारोबार के संबंध में कोई जानकारी एवं कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था का संचालक मण्डल, संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 (2), (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापक का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | माँ चामुण्डा बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्यादित, रुपाहेड़ा | 2218/11-09-15 | श्री दिनेश गुप्ता, उप-अंकेक्षक |
| 2. | श्री बलराम बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्यादित, जहागीरपुर | 2219/11-09-15 | श्री दिनेश गुप्ता, उप-अंकेक्षक |

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(05-E)

---

उज्जैन, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (सी/ग) के अंतर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | तिलक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, घोसला | 2217/11-09-15 |
| 2. | किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गोनसा | 2183/20-08-15 |
| 3. | रवि आंजना बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गुनाला | 2190/21-08-15 |
| 4. | प्रगति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कालूखेड़ी | 2203/04-09-15 |
| 5. | श्री महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, किठोदाजागीर | 2207/04-09-15 |
| 6. | माँ भवानी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नजरपुर | 2224/11-09-15 |
| 7. | महाकाली बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हासलपुर झिरन्या | 2135/04-08-15 |
| 8. | डॉ. भीमराव अम्बेडकर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सरली | 2137/04-08-15 |
| 9. | विवेकानंद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दुधली | 2123/04-08-15 |
| 10. | माँ तुलजा भवानी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपलोदा पंथ | 2196/21-08-15 |
| 11. | देवनारायण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सोडंगू | 2196/21-08-15 |
| 12. | किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खामरिया | 2220/11-09-15 |
| 13. | श्री गोकुल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धड़ोदा | 2221/11-09-15 |
| 14. | श्री महावीर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खेड़ावदा | 2222/11-09-15 |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार नवीन पंजीकृत सहकारी संस्था को पंजीयन दिनांक से 3 माह के अन्दर संस्था का निर्वाचन करवाया जाना अनिवार्य है. परन्तु संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन करवाये जाने हेतु प्रस्ताव नहीं दिया है साथ ही संस्था के कारोबार के संबंध में कोई जानकारी एवं कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है. इस संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 813, दिनांक 18 मार्च, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 तक संस्था का जवाब चाहा गया था जो कि नियत दिनांक तक अप्राप्त होने से पुनः अवसर प्रदान करते हुये कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2159, दिनांक 09 सितम्बर, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 19 सितम्बर, 2016 तक संस्था का जवाब चाहा गया था जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा अधिनियम/नियम/उपविधि के प्रावधानों का पालन नहीं करते हुए सदस्यों के हितों के अनुकूल कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं करवाये जाने एवं कारोबार के संबंध में कोई जानकारी एवं कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था का संचालक मण्डल, संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 (2), (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापक का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | तिलक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, घोसला | 2217/11-09-15 | श्री बी. एल. बागोरा, स. नि. |
| 2. | किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गोनसा | 2183/20-08-15 | श्री बी. एल. बागोरा, स. नि. |
| 3. | रवि आंजना बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गुनाला | 2190/21-08-15 | श्री बी. एल. बागोरा, स. नि. |
| 4. | प्रगति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कालूखेड़ी | 2203/04-09-15 | श्री बी. एल. बागोरा, स. नि. |
| 5. | श्री महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, किठोदाजागीर | 2207/04-09-15 | श्री बी. एल. बागोरा, स. नि. |
| 6. | माँ भवानी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नजरपुर | 2224/11-09-15 | श्री बी. एल. बागोरा, स. नि. |
| 7. | महाकाली बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हासलपुर झिरन्या | 2135/04-08-15 | श्री बी. एल. बागोरा, स. नि. |
| 8. | डॉ. भीमराव अम्बेडकर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सरली | 2137/04-08-15 | श्री बी. एल. बागोरा, स. नि. |
| 9. | विवेकानंद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दुधली | 2123/04-08-15 | श्री बी. एल. बागोरा, स. नि. |
| 10. | माँ तुलजा भवानी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपलोदा पंथ | 2196/21-08-15 | श्री बी. एल. बागोरा, स. नि. |
| 11. | देवनारायण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सोडंगू | 2196/21-08-15 | श्री आर. बी. कनकने, उप अंके. |
| 12. | किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खामरिया | 2220/11-09-15 | श्री आर. बी. कनकने, उप अंके. |
| 13. | श्री गोकुल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धड़ोदा | 2221/11-09-15 | श्री आर. बी. कनकने, उप अंके. |
| 14. | श्री महावीर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खेड़ावदा | 2222/11-09-15 | श्री आर. बी. कनकने, उप अंके. |

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(05-F)

---

उज्जैन, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (सी/ग) के अंतर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | चापनेर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चापानेर | 2165/20-08-15 |
| 2. | क्षिप्रा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पानवासा | 2126/04-08-15 |
| 3. | श्री माँ उमिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़ागाँव | 2100/26-06-15 |
| 4. | शीतलामाता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रजला | 2174/20-08-15 |
| 5. | श्री कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गुरला | 2188/20-08-15 |
| 6. | श्री नाथ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शक्करखेड़ी | 2131/24-08-15 |
| 7. | बड़केश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सांगरा | 2132/04-08-15 |
| 8. | अंबिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जवसिया सोलंकी | 2133/04-08-15 |
| 9. | हरियाली बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मारूखेड़ा | 2167/20-08-15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 10. | सोमेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तरनोद | 2175/20-08-15 | |
| 11. | बिलकेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, महूडी | 2186/20-08-15 | |
| 12. | उदय भारती बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बेलाखेड़ा | 2195/21-08-15 | |
| 13. | विकास बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आलाखेड़ा | 2204/04-09-15 | |
| 14. | उत्तम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खेड़ामद्दा | 2205/04-09-15 | |

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार नवीन पंजीकृत सहकारी संस्था को पंजीयन दिनांक से 3 माह के अन्दर संस्था का निर्वाचन करवाया जाना अनिवार्य है. परन्तु संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन करवाये जाने हेतु प्रस्ताव नहीं दिया है साथ ही संस्था के कारोबार के संबंध में कोई जानकारी एवं कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है. इस संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 813, दिनांक 18 मार्च, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 तक संस्था का जवाब चाहा गया था जो कि नियत दिनांक तक अप्राप्त होने से पुनः अवसर प्रदान करते हुये कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2159, दिनांक 09 सितम्बर, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 19 सितम्बर, 2016 तक संस्था का जवाब चाहा गया था जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा अधिनियम/नियम/उपविधि के प्रावधानों का पालन नहीं करते हुए सदस्यों के हितों के अनुकूल कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं करवाये जाने एवं कारोबार के संबंध में कोई जानकारी एवं कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था का संचालक मण्डल, संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापक का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | चापनेर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चापानेर | 2165/20-08-15 | श्री संजय देवलालीकर, उप-अंके. |
| 2. | क्षिप्रा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पानवासा | 2126/04-08-15 | श्री संजय देवलालीकर, उप-अंके. |
| 3. | श्री माँ उमिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़ागाँव | 2100/26-06-15 | श्री संजय देवलालीकर, उप-अंके. |
| 4. | शीतलामाता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रजला | 2174/20-08-15 | श्री संजय देवलालीकर, उप-अंके. |
| 5. | श्री कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गुरला | 2188/20-08-15 | श्री एन. के. अड़ानिया, उप-अंके. |
| 6. | श्री नाथ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शक्करखेड़ी | 2131/24-08-15 | श्री एन. के. अड़ानिया, उप-अंके. |
| 7. | बड़केश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सांगरा | 2132/04-08-15 | श्री एन. के. अड़ानिया, उप-अंके. |
| 8. | अंबिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जवसिया सोलंकी | 2133/04-08-15 | श्री एन. के. अड़ानिया, उप-अंके. |
| 9. | हरियाली बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मारूखेड़ा | 2167/20-08-15 | श्री एन. के. अड़ानिया, उप-अंके. |
| 10. | सोमेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तरनोद | 2175/20-08-15 | श्री एन. के. अड़ानिया, उप-अंके. |
| 11. | बिलकेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, महूडी | 2186/20-08-15 | श्री एन. के. अड़ानिया, उप-अंके. |
| 12. | उदय भारती बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बेलाखेड़ा | 2195/21-08-15 | श्री एन. के. अड़ानिया, उप-अंके. |
| 13. | विकास बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आलाखेड़ा | 2204/04-09-15 | श्री एन. के. अड़ानिया, उप-अंके. |
| 14. | उत्तम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खेड़ामद्दा | 2205/04-09-15 | श्री एन. के. अड़ानिया, उप-अंके. |

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

**मनोज जायसवाल,**
उप-पंजीयक.

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला सतना

सतना, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

क्र./परि./2016/1666. —कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2015/1233, सतना, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 द्वारा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रेहूटा, विकासखण्ड सोहावल, जिला सतना को परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1799-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रेहूटा, विकासखण्ड सोहावल, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 775, दिनांक 18 जुलाई, 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(06)

---

सतना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

क्र./परि./2016/1670. —कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/1194, सतना, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा गायत्री यातायात सहकारी समिति मर्या., सुभाष चौक सतना, विकासखण्ड सोहावल, जिला सतना को परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री आर. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1799-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये गायत्री यातायात सहकारी समिति मर्या., सुभाष चौक सतना, विकासखण्ड सोहावल, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 524, दिनांक 11 मई, 2005 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(06-A)

---

सतना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

क्र./परि./2016/1671. —कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2015/1243, सतना, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 द्वारा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., देवमऊ, विकासखण्ड रामपुर, जिला सतना को परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1799-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दुग्ध सहकारी समिति मर्या., देवमऊ, विकासखण्ड रामपुर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 506, दिनांक 21 नवम्बर, 2004 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(06-B)

---

सतना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

क्र./परि./2016/1672. —कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2015/1239, सतना, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 द्वारा दुग्ध सहकारी समिति

मर्या., टिकुरी, विकासखण्ड सोहावल, जिला सतना को परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1799-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दुग्ध सहकारी समिति मर्या., टिकुरी, विकासखण्ड सोहावल, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 663, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(06-C)

---

सतना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1673.—महिला दुग्ध सहकारी समिति कंचनपुर, पंजी. क्रमांक 671, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 है को कार्यालयीन आदेश क्रमांक 390, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 से परिसमापनाधीन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की अकार्यशीलता थी.

संस्था की आम सभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गयी है. अत: सहकारिता के सिद्धांतों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्या. के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./1218, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., कंचनपुर, पंजी. क्रमांक 671, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु 90 दिवस के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ.-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. श्रीमती लाला कुशवाहा | अध्यक्ष | 6. श्रीमती मीना देवी | सदस्य |
| 2. श्रीमती गीता कुशवाहा | सदस्य | 7. श्रीमती कुसूम बाई | सदस्य |
| 3. श्रीमती संगीता | सदस्य | 8. श्रीमती दुर्गा | सदस्य |
| 4. श्रीमती गौरी देवी | सदस्य | 9. श्रीमती प्रेमवती | सदस्य |
| 5. श्रीमती सरोज | सदस्य | | |

यह आदेश आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(06-D)

---

सतना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1674.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति पछीत, पंजी. क्रमांक 444, दिनांक 03 मार्च, 2003 है के आदेश क्रमांक 1217, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 से परिसमापनाधीन किया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की अकार्यशीलता थी.

संस्था की आम सभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गयी है. अत: सहकारिता के सिद्धांतों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक

एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्या. के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./1218, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति पछीत, पंजी. क्रमांक 444, दिनांक 03 मार्च, 2003 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु 90 दिवस के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ.-

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती चन्द्रकली | अध्यक्ष | 6. | श्रीमती श्याम कली | सदस्य |
| 2. | श्रीमती रमकलिया | सदस्य | 7. | श्रीमती देवकी बाई | सदस्य |
| 3. | श्रीमती सुनीता | सदस्य | 8. | श्रीमती ममता | सदस्य |
| 4. | श्रीमती विमला | सदस्य | 9. | श्रीमती जग्गी | सदस्य |
| 5. | श्रीमती रन्नू | सदस्य | | | |

यह आदेश आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

**आर. पी. पाल,**
उप-पंजीयक.

(06-E)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960, नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, निम्नलिखित सहकारी समितियों जिनका पंजीयन क्र. व दिनांक निम्नानुसार है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना द्वारा पूर्व आदेशों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत विभाग के अधीन कर्मचारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया.

कर्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना के आदेश क्र./परि./2014/1120, मुरैना, दिनांक 17 मई, 2015 से पूर्व आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया:-

| क्र. | सहकारी संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्रमिक कल्याण सहकारी संस्था मर्या., सब्जी मण्डी, मुरैना | 891/04-07-1986 |
| 2. | राजीव गांधी फल साग-भाजी सहकारी संस्था मर्या., खेड़ामेवदा | 1082/16-08-1996 |
| 3. | खनिज अद्योग सहकारी संस्था मर्या., लोहगढ़ | 951/27-01-1992 |
| 4. | सरस्वती खदान उद्योग सहकारी संस्था मर्या., रान्सू | 972/01-07-1992 |
| 5. | हरेन्द्र प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., मुरैना | 1058/11-12-1995 |
| 6. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नूराबाद | 571/27-12-1989 |
| 7. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बानमोर | 256/28-03-1985 |
| 8. | तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दीखतपुरा | 762/20-05-1982 |
| 9. | चन्द्रशेखर फल साग-भाजी सहकारी संस्था मर्या., जीगनी | 1096/09-09-1996 |
| 10. | फल साग-भाजी सहकारी संस्था मर्या., अरदोनी | 1098/10-10-1996 |
| 11. | आयरन एण्ड स्टील उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुरैना | 111/09-08-1989 |
| 12. | महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मुरैना गाँव | 1139/16-06-1999 |
| 13. | आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मुरैना | 52/20-05-1987 |

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 के नियम 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो मुझे लिखित रूप प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण साहूकार किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वदीन होगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया हो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. साथ ही संस्था के कर्मचारियों पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि उनके पास संस्था का कोई भी रिकार्ड,

नगदी एवं अन्य सामान जो भी हो उस अवधि में मुझे कार्यालयीन समय में कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला मुरैना प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे. यदि आवश्क हुआ तो कार्यवाही भी की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

**बी. एल. एस. सेंमिल,**
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(07)

---

## कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला दमोह

दमोह, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

क्र./विधि./2016/1291. —दुग्ध सहकारी समिति मर्या., अजीतपुरा, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्र./738, दिनांक 21 मार्च, 2012 है. कार्यालय दुग्ध शीतकेन्द्र, हटा, जिला दमोह के पत्र क्र./997/दु.शी.के./हटा/2016, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करे, लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के संबंध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 17 जनवरी, 2017 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दि. 27 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(08)

---

दमोह, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

क्र./विधि./2016/1292. —दुग्ध सहकारी समिति मर्या., गुंजी, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्र./747, दिनांक 21 मार्च, 2012 है. कार्यालय दुग्ध शीतकेन्द्र, हटा, जिला दमोह के पत्र क्र./997/दु.शी.के./हटा/2016, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करे, लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के संबंध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 17 जनवरी, 2017 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दि. 27 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(08-A)

---

दमोह, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

क्र./विधि./2016/1293. —दुग्ध सहकारी समिति मर्या., देवरीरतन, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्र./679, दिनांक 14 जून, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीतकेन्द्र, हटा, जिला दमोह के पत्र क्र./997/दु.शी.के./हटा/2016, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करे, लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के संबंध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 17 जनवरी, 2017 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दि. 27 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(08-B)

---

दमोह, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

क्र./विधि./2016/1294. —दुग्ध सहकारी समिति मर्या., कौशलपुर स्नेह, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्र./710, दिनांक 08 नम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीतकेन्द्र, हटा, जिला दमोह के पत्र क्र./997/दु.शी.के./हटा/2016, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करे, लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के संबंध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 17 जनवरी, 2017 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दि. 27 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(08-C)

---

दमोह, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

क्र./विधि./2016/1295. —दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मड़िया छेबला, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्र./726, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीतकेन्द्र, हटा, जिला दमोह के पत्र क्र./997/दु.शी.के./हटा/2016, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करे, लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के संबंध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 17 जनवरी, 2017 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दि. 27 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(08-D)

---

दमोह, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

क्र./विधि./2016/1296. —दुग्ध सहकारी समिति मर्या., तिदनी, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्र./681, दिनांक 06 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीतकेन्द्र, हटा, जिला दमोह के पत्र क्र./997/दु.शी.के./हटा/2016, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करे, लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः संस्था उक्त नोटिस के संबंध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 17 जनवरी, 2017 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दि. 27 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**संजय सिंह आर्य,**
सहायक पंजीयक.

(08-E)

## कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., सुरेल

उज्जैन, दिनांक 02 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि/क्यू/-1/2016. —सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, ज़िला उज्जैन के आदेश से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त किया है:-

| क्र. | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सुरेल | 2273/15-10-2015 | 2358/30-09-2016 |

अतः मैं, संजय देवलालीकर, उप-अंकेक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ, कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही जी जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

**संजय देवलालीकर**
परिसमापक.

(09)

## कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 13 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

| क्र. | नाम संस्था | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | माँ शाकम्बरी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलोदा सागोतीमाता | 1982/01-01-2015 | 744/08-03-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | महावीर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूनखेड़ा | 1984/01-01-2015 | 744/08-03-2016 |
| 3. | सोना बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलियाडाबी | 2002/01-01-2015 | 744/08-03-2016 |
| 4. | श्री राम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टुटियाखेड़ी | 2005/12-01-2015 | 744/08-03-2016 |
| 5. | माँ ज्वालेश्वरी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चम्बलपाड़लिया | 2007/12-01-2015 | 744/08-03-2016 |
| 6. | शिव गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आक्याजागीर | 2037/22-01-2015 | 740/8-03-2016 |

अत: मैं, एस. एन. मेहता, परिसमापक एंव सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ, कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास इस समितियों के सदस्यों या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही जी जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 13 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

**एस. एन मेहता,**
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(10)

---

## कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

जय अम्बे माँ महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., शोभापुर भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1122, दिनांक 11 सितम्बर, 2008.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2926.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि जय अम्बे माँ महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., शोभापुर भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/1122, दिनांक 11 सितम्बर, 2008 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-A)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

प्रगति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सूखीसेवनिया भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी./1121, दिनांक 19 अगस्त, 2008.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2927.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि प्रगति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सूखीसेवनिया भोपाल,पंजीयन क्र.डी.आर.बी./1121, दिनांक 19 अगस्त, 2008 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-B)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

माँ भुवनेश्वर बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., झिरनियाकांकड भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी./1092, दिनांक 29 अक्टूबर, 2007.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2928.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि माँ भुवनेश्वर बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., झिरनियाकांकड भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी./1092, दिनांक 29 अक्टूबर, 2007 को अस्तित्व में बनायें रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-C)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

मुस्कान महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जमोनियाकला भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी./1084, दिनांक 29 अगस्त, 2007.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2929.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528,

दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि मुस्कान महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जमोनियाकला भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी./1084, दिनांक 29 अगस्त, 2007 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-D)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

माता हरसिद्धी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., तरावलीकला भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी./1035, दिनांक 17 जनवरी, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2930.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि माता हरसिद्धी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., तरावलीकला भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी./1035, दिनांक 17 जनवरी, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-E)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

विजयश्री महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., दमिला भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी./1026, दिनांक 07 जनवरी, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2931.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि विजयश्री महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., दमिला भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी./1026, दिनांक 07 जनवरी, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-F)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

लोचन महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., दामखेडा भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी./1021, दिनांक 17 दिसम्बर, 2004.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2932.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि लोचन महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., दामखेडा भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी./1021, दिनांक 17 दिसम्बर, 2004 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-G)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

मानसी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कढैयाशाह भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी./1010, दिनांक 07 अक्टूबर, 2004.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2933.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528,

दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि मानसी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कढैयाशाह भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी./1010, दिनांक 07 अक्टूबर, 2004 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-H)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

माँ हरसिद्धी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सेमरीखुर्द भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी./1006, दिनांक 27 सितम्बर, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2934.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि माँ हरसिद्धी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सेमरीखुर्द भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी./1006, दिनांक 27 सितम्बर, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था

का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-I)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

देवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भौरी भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./962, दिनांक 26 दिसम्बर, 2009.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2937.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि देवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भौरी भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी./962, दिनांक 26 दिसम्बर, 2009 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-J)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

इंदरा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., याकूब भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी./1001, दिनांक 13 सितम्बर, 2004.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2938.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि इंदरा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., याकूब भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी./1001, दिनांक 13 सितम्बर, 2004 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-K)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

ज्योति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गरेठियादांगी भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी./999, दिनांक 10 सितम्बर, 2004.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2939.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528,

दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि ज्योति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गरेठियादांगी भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी./999, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-L)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

जनसेवा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., देवलखेडा भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी./998, दिनांक 10 सितम्बर, 2004.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2940.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि जनसेवा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., देवलखेडा

भोपाल,पंजीयन क्र.डी.आर.बी./998, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-M)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सीता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बर्री भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी./997, दिनांक 10 सितम्बर, 2004.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2941.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सीता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बर्री भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी./997, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-N)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

निधि महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., दामखेडा भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/996, दिनांक 08 जुलाई, 2004.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2942.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि निधि महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., दामखेडा भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/996, दिनांक 08 जुलाई, 2004 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-O)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

राजू महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सेमराकला भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/994, दिनांक 18 अगस्त, 2004.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2944.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528,

दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि राजू महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सेमराकला भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/994, दिनांक 18 अगस्त, 2004को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-P)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

पिंकी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भैंसोदा भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/990, दिनांक 20 जुलाई, 2004.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2945.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि पिंकी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भैंसोदा

भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/990, दिनांक 20 जुलाई, 2004 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-Q)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सोनम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जमूसरखुर्द भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/982, दिनांक 16 जून, 2004.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2946.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सोनम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जमूसरखुर्द भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/982, दिनांक 16 जून, 2004 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-R)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

पूजा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कालापानी भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/980, दिनांक 03 जून, 2004.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2947.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि पूजा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कालापानी भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/980, दिनांक 03 जून, 2004 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-S)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सपना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खजूरियारामदास भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/972, दिनांक 07 फरवरी, 2004.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2948.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528,

दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सपना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खजूरियारामदास भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/972, दिनांक 07 फरवरी, 2004 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-T)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

नीता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कदीम भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/970, दिनांक 30 जनवरी, 2003.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2949.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि नीता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कदीम

भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/970, दिनांक 30 जनवरी, 2003 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-U)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

माँ शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बगरोदा भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/967, दिनांक 28 जनवरी, 2010.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2950.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि माँ शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बगरोदा भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/967, दिनांक 28 जनवरी, 2010 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-V)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

उमा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जैतपुरा भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/964, दिनांक 30 दिसम्बर, 2003.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2951.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि उमा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जैतपुरा भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/964, दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-W)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

नवदुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बरखेडानाथू भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/963, दिनांक 06 जनवरी, 2010.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2952.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि नवदुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बरखेडानाथू भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/963, दिनांक 06 जनवरी, 2010 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-X)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

शिवानी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बरोडी भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/961, दिनांक 23 दिसम्बर, 2003.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2953.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि शिवानी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बरोडी भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/961, दिनांक 23 दिसम्बर, 2003 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर

कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-Y)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

माँ सरस्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., डुंगरिया भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/960, दिनांक 16 दिसम्बर, 2003.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2954.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि माँ सरस्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., डुंगरिया भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/960, दिनांक 16 दिसम्बर, 2003 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(11-Z)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

माँ भवानी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., हबीबगंज सनखेडी भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/958, दिनांक 22 नवम्बर, 2003.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2955.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528,

दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि माँ भवानी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., हबीबगंज सनखेडी भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/958, दिनांक 22 नवम्बर, 2003 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,
रानी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कुटकीपुरा भोपाल,
पंजीयन क्र.डी.आर.बी/955, दिनांक 17 नवम्बर, 2003.
द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2956.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि रानी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कुटकीपुरा भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/955, दिनांक 17 नवम्बर, 2003 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन

निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-A)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

माँ जगदम्बा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., लांबाखेडा भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/952, दिनांक 22 जुलाई, 2009.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2957.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि माँ जगदम्बा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., लांबाखेडा भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/952, दिनांक 22 जुलाई, 2009 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-B)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

अंजू महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., डुंगरिया भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/951, दिनांक 01 अक्टूबर, 2003.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2958.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि अंजू महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., डुंगरिया भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/951, दिनांक 01 अक्टूबर, 2003 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-C)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

माँ शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ललोई भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/946, दिनांक 02 सितम्बर, 2003.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2959.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528,

दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि माँ शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ललोई भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/946, दिनांक 02 सितम्बर, 2003 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-D)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

केरवा अनु. जा./अनु.ज.जा. महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मंडोरा भोपाल,

पंजीयन क्र. डी.आर.बी/941, दिनांक 28 जुलाई, 2003.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2960.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि केरवा अनु. जा./अनु.ज.जा. महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मंडोरा भोपाल, पंजीयन क्र. डी.आर.बी/941, दिनांक 28 जुलाई, 2003 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है.

अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-E)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

नवजीवन महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नयापुरा भोपाल,

पंजीयन क्र. डी.आर.बी/923, दिनांक 07 नवम्बर, 2002.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2961.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि नवजीवन महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नयापुरा भोपाल, पंजीयन क्र. डी.आर.बी/923, दिनांक 07 नवम्बर, 2002 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-F)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

विकास महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बरखेडाबरामद भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/916, दिनांक 03 फरवरी, 2007.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2962.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि विकास महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बरखेडाबरामद भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/916, दिनांक 03 फरवरी, 2007 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-G)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सांईनाथ बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नीलवड भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/913, दिनांक 27 दिसम्बर, 2006.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2963.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सांईनाथ बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नीलवड भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/913, दिनांक 27 दिसम्बर, 2006 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-H)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बरखेडाबरामद भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/886, दिनांक 05 अगस्त, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2964.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बरखेडाबरामद भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/886, दिनांक 05 अगस्त, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-I)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

लवकुश महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मजीदगढ भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/857, दिनांक 16 मई, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2965.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि लवकुश महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मजीदगढ भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/857, दिनांक 16 मई, 2005. को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-J)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

रामकन्या महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नयासमुन्द भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/850, दिनांक 24 मार्च, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2966.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि रामकन्या महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नयासमुन्द भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/850, दिनांक 24 मार्च, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-K)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

प्रज्ञा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अर्जुनखेडी भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/846, दिनांक 21 मार्च, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2967.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528,

दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि प्रज्ञा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अर्जुनखेडी भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/846, दिनांक 21 मार्च, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-L)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

छाया महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मूदडाचंद भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/845, दिनांक 18 मार्च, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2968.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि छाया महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मूदडाचंद भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/845, दिनांक 18 मार्च, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-M)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिंधोडा भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/832, दिनांक 18 जनवरी, 2007.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2969.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिंधोडा भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/832, दिनांक 18 जनवरी, 2007 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-N)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

पूजा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नरेला दामोदर भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/844, दिनांक 13 मार्च, 2005.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2970.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि पूजा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नरेला दामोदर भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/844, दिनांक 13 मार्च, 2005 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-O)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

महोविया महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिंधोडा भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/800, दिनांक 05 अक्टूबर, 1998.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2971.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि महोविया महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिंधोडा भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/800, दिनांक 05 अक्टूबर, 1998 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-P)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सलमा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रतुआ भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/989, दिनांक 19 जुलाई, 2004.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2972.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सलमा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रतुआ भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/989, दिनांक 19 जुलाई, 2004 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-Q)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

माँ अंजली महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बिरहाश्यामखेडी भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/987, दिनांक 14 जुलाई, 2004.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2973.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि माँ अंजली महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बिरहाश्यामखेडी भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/987, दिनांक 14 जुलाई, 2004 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-R)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

शुभम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अकबरपुर भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/794, दिनांक 13 जुलाई, 1998.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2974.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि शुभम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अकबरपुर भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/794, दिनांक 13 जुलाई, 1998 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-S)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

नवभारत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बैरागढचीचली भोपाल,

पंजीयन क्र.डी.आर.बी/781, दिनांक 27 फरवरी, 1998.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2975.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528,

दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि नवभारत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बैरागढचीचली भोपाल, पंजीयन क्र.डी.आर.बी/781, दिनांक 27 फरवरी, 1998 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-T)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

एलोरा मेंटल सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/23, दिनांक 22 अक्टूबर, 1959.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2976.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि एलोरा मेंटल सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.

ए.आर.बी/23, दिनांक 22 अक्टूबर, 1959 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक् 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-U)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

भेल औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/95, दिनांक 15 अक्टूबर, 1979.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2977.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि भेल औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,पंजीयन क्र. ए.आर.बी/95, दिनांक 15 अक्टूबर, 1979 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-V)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

अबंतिका वुडन एवं स्टील सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/135, दिनांक 22 जुलाई 1981.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2978.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि अबंतिका वुडन एवं स्टील सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/135, दिनांक 22 जुलाई, 1981 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-W)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

लक्ष्मी प्लास्टिक उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/169, दिनांक 18 जून, 1982.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2981.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528,

दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि लक्ष्मी प्लास्टिक उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/169, दिनांक 18 जून, 1982 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-X)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,
मजदूर औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,
पंजीयन क्र.ए.आर.बी/170, दिनांक 04 जून, 1982.
द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2982.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि मजदूर औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन

क्र.ए.आर.बी/170, दिनांक 04 जून, 1982 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-Y)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

न्यू रेडीमेड वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/177, दिनांक 14 सितम्बर, 1982.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2983.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि न्यू रेडीमेड वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/177, दिनांक 14 सितम्बर, 1982 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(12-Z)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

शिवशक्ति भवन निर्माण सामाग्री औद्यौगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/178, दिनांक 22 सितम्बर, 1982.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2984.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि शिवशक्ति भवन निर्माण सामाग्री औद्यौगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/178, दिनांक 22 सितम्बर, 1982 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

भोपाल बुक बाइंडिंग उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/179, दिनांक 04 नवम्बर, 1982.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2985.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528,

दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि भोपाल बुक बाइंडिंग उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/179, दिनांक 04 नवम्बर, 1982 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-A)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

आदर्श होजरी एण्ड रेडीमेड वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/180, दिनांक 10 जनवरी, 1983.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2986.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि आदर्श होजरी एण्ड रेडीमेड वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/180, दिनांक 10 जनवरी, 1983 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन

निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-B)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

भोपाल हस्तशिल्प उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/216, दिनांक 26 मार्च, 1984.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2987.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि भोपाल हस्तशिल्प उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/216, दिनांक 26 मार्च, 1984 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-C)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

एकता आयरन वर्क्स उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/218, दिनांक 01 जून, 1984.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2988.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि एकता आयरन वर्क्स उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/218, दिनांक 01 जून, 1984 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-D)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

प्रगतिशील हरि. बैंत बांस वस्तु निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/231, दिनांक 03 जुलाई, 1985.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2989.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि प्रगतिशील हरि. बैंत बांस वस्तु निर्माण सहकारी संस्था मर्या. , भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/231, दिनांक 03 जुलाई, 1985 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-E)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

त्रिशूल ईंटभट्टा उ. सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/232, दिनांक 03 जुलाई, 1985.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2990.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि त्रिशूल ईंटभट्टा उ. सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/232, दिनांक 03 जुलाई, 1985 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-F)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

एस. एन. बिडी उ. सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/234, दिनांक 28 अगस्त, 1985.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2991.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि एस. एन. बिडी उ. सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/234, दिनांक 28 अगस्त, 1985 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-G)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

नवजीवन सिलाई बुनाई एवं काशीदाकारी उ. सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/236, दिनांक 05 अक्टूबर, 1985.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2992.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि नवजीवन सिलाई बुनाई एवं काशीदाकारी उ. सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/236, दिनांक 05 अक्टूबर, 1985 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-H)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

काजीकैम्प बीडी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/240, दिनांक 26 अक्टूबर, 1985.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2993.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528,

दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि काजीकैम्प बीडी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/240, दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-1)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

शिक्षित बेरोजगार स्टेशनरी वस्तु निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/249, दिनांक 24 अप्रैल, 1986.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2994.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि शिक्षित बेरोजगार स्टेशनरी वस्तु निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/249, दिनांक 24 अप्रैल, 1986 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-J)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

प्रेरणा औद्यौगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/250, दिनांक 21 मई, 1986.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2995.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि प्रेरणा औद्यौगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/250, दिनांक 21 मई, 1986 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-K)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

खंगार गारमेन्ट एण्ड एम्ब्रायडरी सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/275, दिनांक 25 मई, 1987.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2996.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि खंगार गारमेन्ट एण्ड एम्ब्रायडरी सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/275, दिनांक 25 मई, 1987 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-L)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

दी हिमालय महिल सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/276, दिनांक 25 मई, 1987.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2997.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि दी हिमालय महिला सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/276, दिनांक 25 मई, 1987 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-M)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

जागृति होजरी एवं बुनाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/287, दिनांक 26 नवम्बर, 1987.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2998.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि जागृति होजरी एवं बुनाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/287, दिनांक 26 नवम्बर, 1987 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-N)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

ताज सिलाई कढाई बुनाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/294, दिनांक 09 अगस्त, 1988.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2999.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि ताज सिलाई कढाई बुनाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या. , भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/294, दिनांक 09 अगस्त, 1988 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-O)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

एकता महिला मसाला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/321, दिनांक 30 नवम्बर, 1991.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3000.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि एकता महिला मसाला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/321, दिनांक 30 नवम्बर, 1991 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-P)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

लिफाफा एवं फाइल कवर उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/328, दिनांक 17 दिसम्बर, 1991.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3001.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528,

दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि लिफाफा एवं फाइल कवर उद्योग सहकारी संस्था मर्या. , भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/328, दिनांक 17 दिसम्बर, 1991 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-Q)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

आदर्श ईंट भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/338, दिनांक 27 जनवरी, 1992.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3002.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि आदर्श ईंट भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या. , भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/338, दिनांक 27 जनवरी, 1992 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-R)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

शाहीन महिला सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/425, दिनांक 09 अप्रैल, 1993.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3003.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि शाहीन महिला सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/425, दिनांक 09 अप्रैल, 1993 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-S)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

प्रतिभा चर्मशिल्प उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/568, दिनांक 04 मार्च, 1996.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3004.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि प्रतिभा चर्मशिल्प उद्योग सहकारी संस्था मर्या. , भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/568, दिनांक 04 मार्च, 1996 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-T)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

न्यू स्टेशनरी एवं मेन्यूफेक्चर्स औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/618, दिनांक 16 दिसम्बर, 1996.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/2976.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528,

दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि न्यू स्टेशनरी एवं मेन्यूफेक्चर्स औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/618, दिनांक 16 दिसम्बर, 1996 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-U)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

वुड होम फर्नीचर ओद्यौगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/650, दिनांक 11 अप्रैल, 1997.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3006.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि वुड होम फर्नीचर ओद्यौगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/650, दिनांक 11 अप्रैल, 1997 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-V)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सोनिया सिलाई कढाई एवं जरी महिला सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/656, दिनांक 10 नवम्बर, 1997.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3007.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सोनिया सिलाई कढाई एवं जरी महिला सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/656, दिनांक 10 नवम्बर, 1997 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-W)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

अमर शक्ति गेस राहत जूट उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/659, दिनांक 19 नवम्बर, 1997.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3008.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि अमर शक्ति गेस राहत जूट उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/659, दिनांक 19 नवम्बर, 1997 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-X)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

जूट विकास एवं गेस पीड़ित महिला पुर्नवास सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/665, दिनांक 28 मार्च, 1998.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3009.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि जूट विकास एवं गेस पीड़ित महिला पुर्नवास सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/665, दिनांक 28 मार्च, 1998 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-Y)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

जूट दरी विकास सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/668, दिनांक 21 अप्रैल, 1998.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3010.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि जूट दरी विकास सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/668, दिनांक 21 अप्रैल, 1998 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(13-Z)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

आदर्श वर्ग उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/682, दिनांक 02 फरवरी, 1996.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3011.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि आदर्श वर्ग उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/682, दिनांक 02 फरवरी, 1996 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(14)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

पालीथीन वैग उत्पादन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/705, दिनांक 17 जून, 1996.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3012.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि पालीथीन वैग उत्पादन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/705, दिनांक 17 जून, 1996 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(14-A)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

21वीं सदी महिला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/811, दिनांक 29 जून, 1996.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3013.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि 21वीं सदी महिला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/811, दिनांक 29 जून, 1996 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(14-B)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

विकास चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/837, दिनांक 11 फरवरी, 1997.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3014.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि विकास चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/837, दिनांक 11 फरवरी, 1997 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(14-C)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

न्यू लिज्जत महिला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/882, दिनांक 04 जून, 1997.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3015.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि न्यू लिज्जत महिला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/882, दिनांक 04 जून, 1997 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(14-D)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

हमकदम लेदर को-आपरेटिव सोसायटी लि., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/842, दिनांक 03 जनवरी, 2000.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3016.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि हमकदम लेदर को-आपरेटिव सोसायटी लि., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/842, दिनांक 03 जनवरी, 2000 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(14-E)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

बहन महिला विकास हस्तकला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/885, दिनांक 25 अगस्त, 2000.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3017.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528,

दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि बहन महिला विकास हस्तकला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/885, दिनांक 25 अगस्त, 2000 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(14-F)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

अभिषेक फूड प्रोडक्ट औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/914, दिनांक 16 जनवरी, 2007.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3018.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि अभिषेक फूड प्रोडक्ट औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/914, दिनांक 16 जनवरी, 2007 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(14-G)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

प्रगति औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/918, दिनांक 25 सितम्बर, 2002.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3019.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि प्रगति औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/918, दिनांक 25 सितम्बर, 2002 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(14-H)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

जनशक्ति कास्ट एवं लोह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/927, दिनांक 17 दिसम्बर, 2002.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3020.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि जनशक्ति कास्ट एवं लोह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/927, दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(14-I)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सुरभि महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/930, दिनांक 13 जनवरी, 2003.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3021.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सुरभि महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. , भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/930, दिनांक 13 जनवरी, 2003 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(14-J)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

गैस पीड़ित महिला जागृति औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/931, दिनांक 26 फरवरी, 2003.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3022.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि गैस पीडित महिला जागृति औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/931, दिनांक 26 फरवरी, 2003 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का

पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(14-K)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

प्रगतिशील औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/934, दिनांक 24 अप्रैल, 2003.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3023.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि प्रगतिशील औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/934, दिनांक 24 अप्रैल, 2003 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(14-L)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

आदर्श महिला जरी वर्श एवं सिलाई सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/940, दिनांक 22 जुलाई, 2003.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3024.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि आदर्श महिला जरी वर्श एवं सिलाई सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/940, दिनांक 22 जुलाई, 2003 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(14-M)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

अप्सरा औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/1022, दिनांक 21 दिसम्बर, 2004.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3025.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि अप्सरा औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/1022, दिनांक 21 दिसम्बर, 2004 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(14-N)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

बांसवती बांस काष्ठकार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/1036, दिनांक 16 मई, 1991.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3026.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि बांसवती बांस काष्ठकार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/1036, दिनांक 16 मई, 1991 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(14-O)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सेन्चुरी फर्नीचर एण्ड एलाइट टेक्निकल वर्क्स सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/1079, दिनांक 01 जून, 1991.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3027.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सेन्चुरी फर्नीचर एण्ड एलाइट टेक्निकल वर्क्स सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/1079, दिनांक 01 जून, 1991 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(14-P)

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

दी वायपास रेडीमेड वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/1114, दिनांक 17 जून, 1991.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3028.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि दी वायपास रेडीमेड वस्त्र उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/1114, दिनांक 17 जून, 1991 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(14-Q)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

वूमेन जरी वर्क्स सहकारी संस्था मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/1506, दिनांक 18 जुलाई, 1956.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2011-12.

क्र./परिसमापन/2016/3029.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/528, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि वूमेन जरी वर्क्स सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/1506, दिनांक 18 जुलाई, 1956 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक.....को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(14-R)

---

भोपाल, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धर्मरा भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/199, दिनांक 10 नवम्बर, 1983.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परिसमापन/2016/3047.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2016/526, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धर्मरा भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/199, दिनांक 10 नवम्बर, 1983 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र " जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 11 जनवरी, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**अखिलेश चौहान,**
सहायक पंजीयक.

(14-S)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2 ] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जनवरी, 2017-पोष 23, शके 1938


## भाग 3 ( 2 )

### सांख्यिकीय सूचनाएं

### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

**मौसम, फसल एवं पशु स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 24 अगस्त, 2016**

1. **मौसम एवं वर्षा.**--राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.-

**( अ ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.**-तहसील बमोरी (गुना), थांदला, मेघनगर, पेटलावद, राणापुर (झाबुआ), भगवानपुरा, झिरन्या (खरगौन), पानसेमल (बड़वानी), बुरहानपुर, नेपानगर (बुरहानपुर), जुन्नारदेव, तामिया, सोंसर, पांढुर्ना, अमरवाड़ा, चौरई चाँद, बिछुआ, उमरेठ, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, केवलारी, बरघाट (सिवनी), लांजी, कटंगी, खैरलांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

**( ब ) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.**-तहसील लहार (भिण्ड), सोण्डवा (अलीराजपुर), सेगांव, गोगांवा, खरगौन, भीकनगांव (खरगौन), बड़वानी, राजपुर, सेंधवा, पाटी (बड़वानी), पचमढ़ी (होशंगाबाद), नरसिंहपुर, गोटेगांव (नरसिंहपुर), छिन्दवाड़ा, हर्रई (छिन्दवाड़ा), घंसौर (सिवनी), बालाघाट, बेहर, किरनापुर, बिरसा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

**( स ) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.**- तहसील अम्बाह, जौरा, सबलगढ़, कैलारस (मुरैना), श्योपुर, विजयपुर (श्योपुर), राघोगढ़ (गुना), अनूपपुर (अनूपपुर), पाली (उमरिया), बड़वाह, कसरावद (खरगौन), निवाली (बड़वानी), बावई, सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी (होशंगाबाद), जबलपुर (जबलपुर), गाडरवाड़ा, करेली (नरसिंहपुर), घनौरा, छपारा (सिवनी), वारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

**( द ) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.**- तहसील पोरसा, मुरैना (मुरैना), कराहल (श्योपुर), अटेर, भिण्ड, गोहद, मेहगांव, मिहोना (भिण्ड), शिवपुरी, पिछोर, खनियाधाना, नरवर, करैरा, कोलारस, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), मुंगावली, ईसागढ़, अशोकनगर, चन्देरी (अशोकनगर), गुना, आरोन, चाचौड़ा, कुंभराज (गुना), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़, बल्देवगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), लवकुशनगर, गौरीहार, छतरपुर (छतरपुर), गुन्नौर (पन्ना), बीना, खुरई, बंडा, सागर, रेहली, देवरी, गढ़ाकोटा, राहतगढ़ केसली, मालथोन (सागर), हटा, दमोह, पथरिया, जवेरा, तेन्दूखेड़ा, पटेरा (दमोह), रघुराजनगर, रामपुर-बघेलान, उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर, बिरसिंहपुर

(सतना), त्यौंथर, सिरमोर, मऊगंज, हनुमना, हजूर, गुढ़, रायपुरकर्चुलियान (रीवा), सोहागरपुर, ब्यौहारी, जैसिंहनगर, गोहपारू, जैतपुर, बुढार, (शहडोल), जैतहरी, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, मानपुर (उमरिया), गोपदबनास, सिंहावल, मझौली, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), चितरंगी, देवसर, सिंगरौली (सिंगरौली), जावद, मनासा (नीमच), शाजापुर, शुजालपुर, कालापीपल, गुलाना (शाजापुर), जोवट, अलीराजपुर, कट्टीवाड़ा, उदयगढ़, च. शेखर आ. नगर (अलीराजपुर), महेश्वर (खरगौन), ठीकरी (बड़वानी), सीहोर, आष्टा, जावर, इच्छावर, नसरूल्लागंज, रेहटी, बुधनी (सीहोर), रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, गोहरगंज, बरेली, सिलवानी, बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, इटारसी (होशंगाबाद), सीहोरा, पाटन मंझोली, कुंडम (जबलपुर), तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), लखनादौन (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

**( ड ) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक.**- तहसील नौगांव, राजनगर, बिजावर, बड़ामल्हरा, बक्सवाहा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, पवई, शाहनगर (पन्ना), बटियागढ़ (दमोह), मझगवां, नागौद, मैहर (सतना), नीमच (नीमच), मो. बड़ोदिया (शाजापुर), श्यामपुर (सीहोर), परसवाड़ा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

**( ई ) 450.1 मि. मी. से अधिकतम तक.**- तहसील शाहगढ़ (सागर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

**2. जुताई.**- जिला ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, बड़वानी, जबलपुर व नरसिंहपुर में जुताई व रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

**3. बोनी.**- जिला ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी व नरसिंहपुर में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

**4. फसल स्थिति**- . .

**5. कटाई.**- . .

**6. सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, शहडोल, बड़वानी, बुरहानपुर, जबलपुर, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

**7. पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

**8. चारा.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

**9. बीज.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

**10. खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

**मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 24 अगस्त, 2016**

| जिला/तहसीलें | 1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. | 7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| **1. जिला मुरैना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. अम्बाह | 51.0 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पोरसा | 167.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मुरैना | 86.2 | | | | |
| 4. जौरा | 46.0 | | | | |
| 5. सबलगढ़ | 46.0 | | | | |
| 6. कैलारस | 40.0 | | | | |
| **2. जिला श्योपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. श्योपुर | 42.0 | | 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. कराहल | 167.0 | | उड़द, मूंग सुधरी हुई. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. विजयपुर | 40.2 | | (2) . . | | |
| **3. जिला भिण्ड :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. अटेर | 59.0 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. भिण्ड | 67.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. गोहद | 80.0 | | | | |
| 4. मेंहगांव | 104.8 | | | | |
| 5. लहार | 29.9 | | | | |
| 6. मिहोना<br>7. रौन | 82.0 | | | | |
| **4. जिला ग्वालियर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व रोपाई | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. . . |
| 1. ग्वालियर | . . | का कार्य चालू है. | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. डबरा | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. भितरवार | . . | | | | |
| 4. घाटीगांव | . . | | | | |
| **5. जिला दतिया :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. सेवढ़ा | . . | | 4. (1) गन्ना, मूंगफली, तिल समान. | 6.संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. दतिया | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. भाण्डेर | . . | | | | |
| **6. जिला शिवपुरी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. शिवपुरी | 73.0 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पिछोर | 130.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. खनियाधाना | 72.0 | | | | |
| 4. नरवर | 60.0 | | | | |
| 5. करैरा | 60.3 | | | | |
| 6. कोलारस | 56.0 | | | | |
| 7. पोहरी | 122.0 | | | | |
| 8. बदरवास | 83.0 | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **7. जिला अशोकनगर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. मुँगावली | 122.0 | | 4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. उड़द, गन्ना, गेहूँ, चना कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. ईसागढ़ | 128.0 | | (2) . . | | |
| 3. अशोकनगर | 92.0 | | | | |
| 4. चन्देरी | 116.0 | | | | |
| 5. शाढौरा | . . | | | | |
| **8. जिला गुना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. गुना | 68.8 | | 4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. राघोगढ़ | 36.0 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. बमोरी | 13.0 | | | | |
| 4. आरोन | 75.0 | | | | |
| 5. चाचौड़ा | 98.0 | | | | |
| 6. कुम्भराज | 56.0 | | | | |
| **9. जिला टीकमगढ़ :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. निवाड़ी | 142.0 | | 4. (1) धान, ज्वार, मूंग, उर्दा, मूंगफली, तिल, अरहर-समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. पृथ्वीपुर | 193.0 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. जतारा | 190.0 | | | | |
| 4. टीकमगढ़ | 222.0 | | | | |
| 5. बल्देवगढ़ | 171.0 | | | | |
| 6. पलेरा | 238.0 | | | | |
| 7. ओरछा | 151.0 | | | | |
| **10. जिला छतरपुर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. लव-कुश नगर | 205.0 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. गौरीहार | 161.0 | | (2) . . | | |
| 3. नौगांव | 303.5 | | | | |
| 4. छतरपुर | 234.8 | | | | |
| 5. राजनगर | 250.2 | | | | |
| 6. बिजावर | 264.6 | | | | |
| 7. बड़ामलहरा | 360.6 | | | | |
| 8. बक्सवाहा | 348.2 | | | | |
| **11. जिला पन्ना :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. अजयगढ़ | 296.7 | | 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. . . |
| 2. पन्ना | 311.5 | | (2) . . | | |
| 3. गुन्नौर | 218.0 | | | | |
| 4. पवई | 365.0 | | | | |
| 5. शाहनगर | 299.6 | | | | |
| **12. जिला सागर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बीना | 122.8 | | 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. खुरई | 206.2 | | (2) . . | | |
| 3. बण्डा | 120.7 | | | | |
| 4. सागर | 191.5 | | | | |
| 5. रेहली | 150.0 | | | | |
| 6. देवरी | 125.0 | | | | |
| 7. गढ़ाकोटा | 165.4 | | | | |
| 8. राहतगढ़ | 218.5 | | | | |
| 9. केसली | 163.3 | | | | |
| 10. मालथोन | 122.8 | | | | |
| 11. शाहगढ़ | 469.0 | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **13. जिला दमोह :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. हटा | 242.1 | | 4. (1) सोयाबीन, धान, अरहर, उड़द, ज्वार, मूंग, मक्का, गन्ना, मूंगफली, तिल सुधरी हुई. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. बटियागढ़ | 320 | | (2) . . | | |
| 3. दमोह | 221.7 | | | | |
| 4. पथरिया | 187 | | | | |
| 5. जवेरा | 130 | | | | |
| 6. तेन्दूखेड़ा | 166.6 | | | | |
| 7. पटेरा | 176 | | | | |
| **14. जिला सतना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. रघुराजनगर | 164.6 | | 4. (1) सोयाबीन कम. धान, मक्का, उड़द, मूंग, तिल, अरहर समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. मझगवां | 247.0 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. रामपुर-बघेलान | 238.0 | | | | |
| 4. नागौद | 256.5 | | | | |
| 5. उचेहरा | 225.0 | | | | |
| 6. अमरपाटन | 205.0 | | | | |
| 7. रामनगर | 229.0 | | | | |
| 8. मैहर | 418.0 | | | | |
| 9. बिरसिंहपुर | 198.0 | | | | |
| **15. जिला रीवा :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. त्यौंथर | 192.6 | | 4. (1) उड़द, मूंग अधिक. धान, सोयाबीन कम. मूंग, तुअर, ज्वार समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिरमौर | 88..0 | | (2) . . | | |
| 3. मऊगंज | 186.8 | | | | |
| 4. हनुमना | 175.2 | | | | |
| 5. हजूर | 197.1 | | | | |
| 6. गुढ़ | 208.2 | | | | |
| 7. रायपुरकर्चुलियान | 201.0 | | | | |
| **16. जिला शहडोल:** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सोहागपुर | 73.0 | | 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर अधिक. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. ब्यौहारी | 219.0 | | (2) . . | | |
| 3. जैसिंहनगर | 102.0 | | | | |
| 4. गोहपारू | 127.0 | | | | |
| 5. जैतपुर | 117.0 | | | | |
| 6. बुढ़ार | 64.4 | | | | |
| **17. जिला अनूपपुर :** | मिलीमीटर | 2. बोनी व रोपाई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जैतहरी | 66.0 | | 4. (1) धान, तुअर, कोदों-कुटकी कम. मक्का,सोया, तिल समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. अनूपपुर | 44.6 | | (2) . . | | |
| 3. कोतमा | 169.8 | | | | |
| 4. पुष्पराजगढ़ | 88.8 | | | | |
| **18. जिला उमरिया :** | मिलीमीटर | 2. खरीफ फसल की बोनी व रोपाई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बांधवगढ़ | 120.4 | | 4. (1) मक्का, धान, तुअर, उड़द, मूंग, तिल, ज्वार अधिक. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. पाली | 42.0 | | (2) . . | | |
| 3. मानपुर | 91.0 | | | | |
| **19. जिला सीधी :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. गोपदवनास | 125.0 | | 4. (1) धान, तुअर, तिल कम. उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिंहावल | 140.2 | | (2) . . | | |
| 3. मझौली | 231.8 | | | | |
| 4. कुसमी | 115.0 | | | | |
| 5. चुरहट | 192.6 | | | | |
| 6. रामपुरनैकिन | 220.5 | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **20. जिला सिंगरौली :** | मिलीमीटर | 2. जुताई व रोपाई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. चितरंगी | 154.2 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. देवसर | 162.3 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. सिंगरौली | 95.8 | | | | |
| **21. जिला मंदसौर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. सुवासराटप्पा | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. भानपुरा | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मल्हारगढ़ | . . | | | | |
| 4. गरोठ | . . | | | | |
| 5. मंदसौर | . . | | | | |
| 6. श्यामगढ़ | . . | | | | |
| 7. सीतामऊ | . . | | | | |
| 8. धुंधड़क्का | . . | | | | |
| 9. संजीत | . . | | | | |
| 10. कयामपुर | . . | | | | |
| **22. जिला नीमच :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जावद | 220.8 | | 4. (1) उड़द, मक्का, तिल, तुअर, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. नीमच | 251.0 | | मूंगफली, मूंग अधिक. धान- | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मनासा | 147.8 | | कम. ज्वार समान. | | |
| | | | (2) . . | | |
| **23. जिला रतलाम :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जावरा | . . | | 4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. आलोट | . . | | समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. सैलाना | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. बाजना | . . | | | | |
| 5. पिपलोदा | . . | | | | |
| 6. रतलाम | . . | | | | |
| **24. जिला उज्जैन :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. खाचरौद | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. महिदपुर | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. तराना | . . | | | | |
| 4. घटिया | . . | | | | |
| 5. उज्जैन | . . | | | | |
| 6. बड़नगर | . . | | | | |
| 7. नागदा | . . | | | | |
| **25. जिला आगर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. बड़ौद | . . | | 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सुसनेर | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नलखेड़ा | . . | | | | |
| 4. आगर | . . | | | | |
| **26. जिला शाजापुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. मोहम्मद बड़ोदिया | 275.0 | | 4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. शाजापुर | 149.8 | | उड़द, मूंग समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. शुजालपुर | 174.0 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. कालापीपल | 189.0 | | | | |
| 5. गुलाना | 179.0 | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **27. जिला देवास :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सोनकच्छ | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. टोंकखुर्द | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. देवास | . . | | | | |
| 4. बागली | . . | | | | |
| 5. कन्नोद | . . | | | | |
| 6. खातेगांव | . . | | | | |
| **28. जिला झाबुआ :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. थांदला | 1.0 | | 4. (1) मक्का, सोयाबीन, उड़द, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. मेघनगर | 8.0 | | कपास, धान, मूंगफली, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. पेटलावद | 1.2 | | तुअर अधिक. | | |
| 4. झाबुआ | . . | | (2) . . | | |
| 5. राणापुर | 10.0 | | | | |
| **29. जिला अलीराजपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. जोवट | 90.2 | | 4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. अलीराजपुर | 79.2 | | मूंगफली, सोयाबीन, कपास, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कट्टीवाड़ा | 111.0 | | तुअर अधिक. | | |
| 4. सोंडवा | 28.0 | | (2) . . | | |
| 5. उदयगढ़ | 122.0 | | | | |
| 6. च. शेखर आ. नगर | 101.8 | | | | |
| **30. *जिला धार :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. बदनावर | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. सरदारपुर | . . | | (2) . . | | |
| 3. धार | . . | | | | |
| 4. कुक्षी | . . | | | | |
| 5. मनावर | . . | | | | |
| 6. धरमपुरी | . . | | | | |
| 7. गंधवानी | . . | | | | |
| 8. डही | . . | | | | |
| **31. *जिला इन्दौर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. देपालपुर | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. सांवेर | . . | | (2) . . | | |
| 3. इन्दौर | . . | | | | |
| 4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर) | . . | | | | |
| **32. जिला खरगौन :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बड़वाह | 46.0 | | 4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. महेश्वर | 72.6 | | राई-सरसों अधिक. ज्वार, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. सेगांव | 28.0 | | धान, कपास, मूंगफली, | | |
| 4. खरगौन | 18.0 | | तुअर, गेहूँ, चना कम. | | |
| 5. गोगावां | 26.0 | | (2) . . | | |
| 6. कसरावद | 40.0 | | | | |
| 7. भगवानपुरा | 10.0 | | | | |
| 8. भीकनगांव | 34.0 | | | | |
| 9. झिरन्या | 11.8 | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **33. जिला बड़वानी :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बड़वानी | 20.0 | | 4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. ठीकरी | 92.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. राजपुर | 33.0 | | | | |
| 4. सेंधवा | 20.0 | | | | |
| 5. पानसेमल | 11.0 | | | | |
| 6. पाटी | 27.0 | | | | |
| 7. निवाली | 36.0 | | | | |
| **34. जिला खण्डवा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. खण्डवा | . . | | 4. (1) सोयाबीन, कपास, धान, मक्का, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पंधाना | . . | | ज्वार, उड़द, मूंग. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. हरसूद | . . | | (2) . . | | |
| **35. जिला बुरहानपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बुरहानपुर | 0.6 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खकनार | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नेपानगर | 11.0 | | | | |
| **36. जिला राजगढ़ :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जीरापुर | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खिलचीपुर | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. राजगढ़ | . . | | | | |
| 4. ब्यावरा | . . | | | | |
| 5. सारंगपुर | . . | | | | |
| 6. पचोर | . . | | | | |
| 7. नरसिंहगढ़ | . . | | | | |
| **37. *जिला विदिशा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. | 7. . . |
| 1. लटेरी | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. सिरोंज | . . | | (2) . . | . . | |
| 3. कुरवाई | . . | | | | |
| 4. बासोदा | . . | | | | |
| 5. नटेरन | . . | | | | |
| 6. विदिशा | . . | | | | |
| 7. गुलाबगंज | . . | | | | |
| 8. ग्यारसपुर | . . | | | | |
| **38. जिला भोपाल :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बैरसिया | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. हुजूर | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| **39. जिला सीहोर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सीहोर | 119.3 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. श्यामपुर | 264.3 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. आष्टा | 116.0 | | | | |
| 4. जावरा | 122.7 | | | | |
| 5. इछावर | 103.0 | | | | |
| 6. नसरूल्लागंज | 101.0 | | | | |
| 7. रेहटी | 85.4 | | | | |
| 8. बुधनी | 104.0 | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **40. जिला रायसेन :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. रायसेन | 188.6 | | 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, गन्ना. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. . . |
| 2. गैरतगंज | 230.2 | | (2) . . | | |
| 3. बेगमगंज | 205.2 | | | | |
| 4. गोहरगंज | 71.0 | | | | |
| 5. बरेली | 71.4 | | | | |
| 6. सिलवानी | 131.8 | | | | |
| 7. बाड़ी | 69.5 | | | | |
| 8. उदयपुरा | 93.0 | | | | |
| **41. जिला बैतूल :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. भैंसदेही | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. घोड़ाडोंगरी | . . | | (2) . . | | |
| 3. शाहपुर | . . | | | | |
| 4. चिचोली | . . | | | | |
| 5. बैतूल | . . | | | | |
| 6. मुलताई | . . | | | | |
| 7. आठनेर | . . | | | | |
| 8. आमला | . . | | | | |
| **42. जिला होशंगाबाद :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी-मालवा | 58.2 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. होशंगाबाद | 101.3 | | (2) . . | | |
| 3. बावई | 45.0 | | | | |
| 4. इटारसी | 56.0 | | | | |
| 5. सोहागपुर | 46.0 | | | | |
| 6. पिपरिया | 39.2 | | | | |
| 7. बनखेड़ी | 37.6 | | | | |
| 8. पचमढ़ी | 33.8 | | | | |
| **43. *जिला हरदा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. | 7. . . |
| 1. हरदा | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. खिड़किया | . . | | (2) . . | | |
| 3. टिमरनी | . . | | | | |
| **44. जिला जबलपुर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं व रोपाई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सीहोरा | 85.2 | | 4. (1) मक्का अधिक. उड़द, धान, तुअर, को. कुटकी कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. पाटन | 54.0 | | (2) . . | | |
| 3. जबलपुर | 47.0 | | | | |
| 4. मझोली | 115.6 | | | | |
| 5. कुण्डम | 56.6 | | | | |
| **45. *जिला कटनी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. | 7. . . |
| 1. कटनी | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. रीठी | . . | | (2) . . | | |
| 3. विजयराघौगढ़ | . . | | | | |
| 4. बहोरीबंद | . . | | | | |
| 5. ढीमरखेड़ा | . . | | | | |
| 6. बरही | . . | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **46. जिला नरसिंहपुर :** | मिलीमीटर | 2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. गाड़रवारा | 52.0 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. करेली | 39.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नरसिंहपुर | 25.0 | | | | |
| 4. गोटेगांव | 21.0 | | | | |
| 5. तेंदूखेड़ा | 131.0 | | | | |
| **47. *जिला मण्डला :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. | 7. . . |
| 1. निवास | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. बिछिया | . . | | (2) . . | . . | |
| 3. नैनपुर | . . | | | | |
| 4. मण्डला | . . | | | | |
| 5. घुघरी | . . | | | | |
| 6. नारायणगंज | . . | | | | |
| **48. *जिला डिण्डोरी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. | 7. . . |
| 1. डिण्डोरी | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. शाहपुरा | . . | | (2) . . | | |
| **49. जिला छिंदवाड़ा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. छिंदवाड़ा | 21.8 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. जुन्नारदेव | 9.8 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. परासिया | . . | | | | |
| 4. तामिया | 8.4 | | | | |
| 5. सोंसर | 2.1 | | | | |
| 6. पांदुर्णा | 1.0 | | | | |
| 7. अमरवाड़ा | 16.6 | | | | |
| 8. चौरई | 1.0 | | | | |
| 9. चाँद | 3.3 | | | | |
| 10. बिछुआ | 3.2 | | | | |
| 11. हर्रई | 20.4 | | | | |
| 12. उमरेठ | 4.6 | | | | |
| 13. मोहखेड़ा | 17.0 | | | | |
| **50. जिला सिवनी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी | 3.80 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. केवलारी | 13.20 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. लखनादोन | 59.50 | | | | |
| 4. बरघाट | 9.40 | | | | |
| 5. उरई | . . | | | | |
| 6. घंसोर | 30.0 | | | | |
| 7. घनोरा | 44.90 | | | | |
| 8. छपारा | 43.70 | | | | |
| **51. जिला बालाघाट :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बालाघाट | 30.4 | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. लाँजी | 17.2 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बैहर | 30.0 | | | | |
| 4. वारासिवनी | 40.8 | | | | |
| 5. कटंगी | 6.8 | | | | |
| 6. किरनापुर | 28.2 | | | | |
| 7. खैरलांजी | 16.0 | | | | |
| 8. लालबर्रा | . . | | | | |
| 9. बिरसा | 21.3 | | | | |
| 10. परसबाड़ा | 394 | | | | |

**टीप.**-*जिला धार, इन्दौर, विदिशा, हरदा, कटनी, मण्डला, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

**सुहेल अली,**
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(02)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.